छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जांजगीर-चांपा में छात्रावासों की संख्या

1. (*क्र. 1156) **श्री नारायण चंदेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कितने छात्रावास है एवं उनमें अधिवास करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के 87 छात्रावास है एवं उनमें अधिवास करने वाले छात्रों की संख्या 2997 है.

प्रशासनिक अधिकारियों पर दर्ज प्रकरणों की जानकारी

2. (*क्र. 1738) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने आई.ए.एस. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर आर्थिक गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले में प्रकरण कब से पंजीबद्ध है ? पंजीबद्ध होने के बाद प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिन अधिकारियों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, एण्टी करप्शन ब्यूरो एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में अपराध दर्ज है, क्या उनको पदोन्नति दी गई है ? यदि हां तो, कितने असफरों को ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्तमान में छ. ग. प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 04 अधिकारियों के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में व 01 अधिकारी के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण दर्ज है. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के 01 अधिकारी के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में व 05 अधिकारियों के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण दर्ज है. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तथा एन्टी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद प्रकरणों में ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो में अपराध दर्ज होने की तिथि के बाद भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था अनुसार 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को तथा 03 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नल-जल योजना की स्थिति

3. (*क्र. 430) **श्री सौरभ सिंह :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी नल-जल योजना किन गांवों में चालू है ? कितनी नई प्रस्तावित है ? ग्रामवार जानकारी देवें. (ख) कितनी योजनायें किन कारणों से बंद है ? कितनी योजनाओं का काम अधूरा है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 गांवों की नलजल योजना चालू है. ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ " अनुसार. अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कोई नई नलजल योजना प्रस्तावित नहीं है. (ख) दो योजनाएं बंद हैं. विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. 12 योजनाओं का कार्य अधूरा है.

---

† परिशिष्ट "एक"

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि

4. (*क्र. 994) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर को विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल के लिए वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में, विकास, निर्माण, मरम्मत एवं सामग्री क्रय के लिए कुल कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** जानकारी निम्नानुसार है :—

मद	विकासखंड		उपलब्ध करायी गयी राशि (लाखों में)		
			वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
विकास एवं निर्माण	बिलाईगढ़		355.949	116.65	52.98
	कसडोल		157.249	296.70	282.00
		योग	**513.198**	**413.35**	**334.98**
मरम्मत	बिलाईगढ़		00.906	00.50	02.86
	कसडोल		06.958	18.135	03.28
		योग	**07.864**	**18.635**	**06.14**
सामग्री क्रय	बिलाईगढ़		09.947	10.64	-
	कसडोल		03.53	04.54	-
		योग	**13.477**	**15.18**	**-**
		महायोग	**534.539**	**447.165**	**341.12**

महासमुन्द जिले में स्थापित दुग्ध उत्पादन केन्द्र

5. (*क्र. 1695) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन केन्द्र कहां पर स्थापित है, 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में बतावें ? (ख) दुग्ध उत्पादन हेतु दुग्ध डेयरी खोलने के लिए अजा/अजजा एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) **:** (क) महासमुंद जिला अन्तर्गत दिनांक 31-12-2009 की स्थिति में कुल 187 दुग्ध उत्पादक केन्द्र (दुग्ध सहकारी समितियां) गठित थी, जिसमें से 115 कार्यरत एवं 72 बंद है. कार्यरत समितियों की विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) निरंक.

शासकीय भूमि पर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु बालको द्वारा ली गयी अनुमति

6. (*क्र. 693) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में बालको द्वारा किन-किन खसरा नंबर के कितने रकबे पर पावर प्लांट स्थापना की जा रही है तथा उक्त भू-खण्ड का स्वामित्व किसके नाम पर है ? (ख) शासकीय भूमि पर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु क्या बालको द्वारा अनुमति ली गई है ? यदि हां तो, कब अनुमति मांगी गई तथा कब अनुमति दी गई ? (ग) यदि अनुमति नहीं ली गई है, तो शासन द्वारा संयंत्र के खिलाफ कब-कब, क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

† परिशिष्ट "दो"

बस्तर जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम भवनों में उपलब्ध सुविधाएं

7. (*क्र. 363) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कितने-कितने छात्रावास एवं आश्रम शालाएं पक्के/कच्चे भवनयुक्त/भवनविहीन/किराये के भवन में संचालित हैं ? (विवरण पृथक-पृथक देवें) (ख) संचालित छात्रावास/आश्रम भवन में कितने में पक्का विद्युतीकरण एवं पेयजल सुविधा है ? (ग) क्या सभी छात्रावास/आश्रम में अधीक्षक आवास गृह है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	संस्था का प्रकार	संचालित संस्थाओं के भवनों की स्थिति				
		पक्के भवन में	कच्चे भवन में	भवनविहीन (अन्य शासकीय पक्के भवनों में)	किराये के भवन में	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छात्रावास	85	-	62	-	147
2.	आश्रम शाला	80	-	50	04	134
	योग	**165**	-	**112**	**04**	**281**

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	संस्था का प्रकार	पक्का विद्युतीकरण-युक्त संस्था	पेयजल सुविधायुक्त संस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छात्रावास	83	145
2.	आश्रम	76	128
	योग	**159**	**273**

(ग) जी नहीं.

जिला जांजगीर-चांपा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्थिति

8. (*क्र. 1402) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को केन्द्र से कब स्वीकृति प्रदान की गई एवं योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) निर्माण एजेन्सी द्वारा जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में कितने-कितने मजरेटोलों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण 31 जनवरी, 2010 तक किया गया है ? (ग) उक्त योजना के तहत जिले के समस्त मजरेटोलों को शत प्रतिशत विद्युतीकरण कराने हेतु कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जिला जांजगीर-चांपा के विद्युतीकरण कार्य हेतु परियोजना प्रतिवेदन को राशि रुपये 47.48 करोड़ पर केन्द्र द्वारा स्वीकृति दिनांक 21-02-2006 को दी गई. तदुपरांत विद्युतीकरण कार्यों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित कर प्रेषित पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन को राशि रुपये 63.99 करोड़, जिनमें 47.48 करोड़ सम्मिलित है, पर केन्द्र द्वारा स्वीकृति दिनांक 09-07-2009 को दी गई. (ख) जांजगीर-चांपा जिले के 09 विकासखंडों में दिनांक 31-01-2010 तक 1423 मजरेटोलों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ग) योजना में स्वीकृत समस्त मजरेटोलों का शतप्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है. विद्युतीकरण हेतु शेष 155 मजरेटोलों के लिए प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लंबित है. अत: लक्ष्य बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट "तीन"

जगदलपुर विकासखण्ड में हैण्डपम्पों की स्थिति

9. (*क्र. 233) **श्री संतोष बाफना :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31-01-2010 की स्थिति में विकासखण्ड जगदलपुर में कितने हैण्डपम्प बंद हैं ? कितने मरम्मत के योग्य हैं ? कितने अयोग्य हो गए हैं ? (ख) क्या सभी हैण्डपंप के साथ चबूतरा निर्माण हुआ है ? यदि नहीं तो चबूतरा निर्माण कब तक किया जाएगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) विकासखण्ड जगदलपुर में दिनांक 31-01-2010 की स्थिति में 06 हैण्डपम्प बंद है. मरम्मत योग्य निरंक. 06 हैण्डपम्प सुधार अयोग्य है. (ख) जी नहीं. 29 हैण्डपम्पों पर चबूतरा निर्माण कार्य शेष है. चबूतरा निर्माण की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. प्रयास है कि कार्य माह मार्च 2010 में पूर्ण कर लिया जावेगा.

बस्तर जिले में खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

10. (*क्र. 1586) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले में खनिज निरीक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** बस्तर जिले में खनिज निरीक्षकों के कुल 02 पद स्वीकृत हैं तथा 01 पद रिक्त हैं. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है.

रायगढ़ जिले के ग्रामों में विद्युतीकरण की स्थिति

11. (*क्र. 1612) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों में 31 मार्च, 2010 तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ? (ख) 13-2-10 की स्थिति में कार्य की प्रगति क्या है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) 31 मार्च, 2010 तक रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखण्ड के 08 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है. (ख) दिनांक 13-2-10 तक एक ग्राम कुमा का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. शेष 07 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है.

औद्योगिक नीति 2009-14 के नोटिफिकेशन संबंधी

12. (*क्र. 1787) **श्री परेश बागबाहरा :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवंबर 2009 में घोषित नई औद्योगिक नीति 2009-14 का नोटिफिकेशन राजपत्र में कर दिया गया है ? यदि हां तो, कौन सी तारीख में ? यदि नहीं तो, कब तक कर दिया जाएगा ? (ख) क्या यह सही है कि धाराओं का नोटिफिकेशन राजपत्र में नहीं होने के कारण उद्योगों को इस नई उद्योग नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यदि लाभ मिल रहा है तो उन उद्योगों का नाम बताएं ? (ग) लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) नवंबर 2009 में घोषित नई औद्योगिक नीति 2009-14 का नोटिफिकेशन राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2009 को किया गया है. (ख) धाराओं का नोटिफिकेशन राजपत्र में किये जाने की आवश्यकता नहीं है. औद्योगिक नीति 2009-14 में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित 19 प्रकरण प्रक्रियाधीन है. प्रक्रियाधीन प्रकरणों के लंबित होने का संबंध अधिसूचनाओं के जारी होने से नहीं है. (ग) औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरण प्रक्रियाधीन है. अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन उक्त 19 प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र किया जायेगा.

दुर्ग जिले में नदी घाटी योजना के अंतर्गत व्यय राशि

13. (*क्र. 1289) **श्री भजन सिंह निरंकारी :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में नदी घाटी योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) बेमेतरा कृषि अनुविभाग में उक्त योजना के तहत कितने ग्रामों में वृक्षारोपण कार्य में तथा कितने गांव में जलग्रहण संरचना के कितने निर्माण में कितनी-कितनी

राशि व्यय की गई है ? (ग) उक्त योजना के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण में से वर्तमान में कितने पौधे जीवित है ? संपादित जलग्रहण संरचना के कार्यों में से कितने वर्तमान में उपयोगी है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले के सिर्फ बेमेतरा विकासखण्ड में नदी घाटी योजनांतर्गत राशि व्यय की गयी है वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)		
	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	योग
बेमेतरा	33.999	38.00	71.999

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में बेमेतरा कृषि अनुविभाग में उपरोक्त योजनांतर्गत 14 ग्रामों में राशि रु. 11.613 लाख व्यय कर वृक्षारोपण कार्य किया गया, इसी प्रकार 14 ग्रामों में ही राशि रु. 53.231 लाख व्यय कर 123 जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया. (ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में किये गये वृक्षारोपण में से 22,997 पौधे जीवित है. निर्मित जलग्रहण संरचनाओं में से वर्तमान में समस्त संरचनायें उपयोगी है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु लंबित आवेदन

14. (*क्र. 772) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में छ.ग.रा.वि. वितरण कंपनी के पास विद्युत पम्पों के कनेक्शन के लिये कितने आवेदन कब से लंबित है ? (ख) लंबित आवेदकों को विद्युत कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 31-12-2009 की स्थिति में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण 395 आवेदन कनेक्शन हेतु लंबित हैं. इन लंबित आवेदनों की माहवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ख) फरवरी 2010 तक इन 395 आवेदनों में से 169 कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण हो गये हैं लेकिन संबंधित आवेदकों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए औपचारिकताएं लंबित हैं. शेष 226 आवेदनों के अंतर्गत लाईन विस्तार के कार्य वर्ष 2010-11 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है. अत: कनेक्शन कब जारी किया जायेगा की जानकारी देना संभव नहीं है.

औद्योगिक क्षेत्र बोरई हेतु कृषकों की भूमि का अधिग्रहण

15. (*क्र. 1311) **श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र हेतु कुल कितने किसानों की कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है ? (ख) भूमि अधिग्रहित किसानों के कितने परिवार के सदस्यों को स्थापित उद्योगों में काम पर रखा गया है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम रसमड़ा के 221 किसानों की कुल 485.86 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है. (ख) भूमि अधिग्रहित किसानों के परिवार के सदस्यों में से 66 व्यक्तियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा काम पर रखा गया है.

जिला कोरबा में संचालित छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु भवन व्यवस्था

16. (*क्र. 501) **श्री बोधराम कंवर :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) वर्तमान में कहां-कहां भवन निर्माणाधीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 40 छात्रावास, 24 आश्रम, 20 हाईस्कूल व 08 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

† परिशिष्ट "चार"

†† परिशिष्ट "पांच"

जिला कोरबा में विद्युत उत्पादन केन्द्रों/कंपनियों को आवंटित कोयला खदानें

17. (*क्र. 1398) **श्री रामदयाल उइके :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कोयला उत्खनन हेतु किन-किन कंपनियों एवं विद्युत उत्पादन केन्द्रों को कोयला खदान आवंटित किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) क्या बड़े झाड़ के जंगलों में भी कोयला उत्खनन की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? (ग) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 तथा 2009-10 में भारत सरकार से कोयला उत्खनन हेतु किन-किन कंपनियों को आवंटन दिया गया है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) कोरबा जिले में कोयला खनिज के उत्खनन हेतु अर्द्ध शासकीय एवं निजी कंपनियों को 11 कोल ब्लॉक आवंटित किए गये हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जी हां. कोरबा जिला में बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर कोयला खनिज के उत्खनन की कार्यवाही की जा रही है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" पर दर्शित है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में स्वीकृत नल जल योजना संबंधी

18. (*क्र. 1775) **श्री चैतराम साहू :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों में नल जल योजना के तहत सीमेंट पाईप लाईन का उपयोग किया गया है ? (ख) यदि हां तो, क्या इन सीमेंट पाईप लाईन को बदल कर लोहे की पाईप लाईन लगाने की योजना विचाराधीन है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) जी नहीं. वर्तमान में नलजल योजना के तहत सीमेन्ट पाईप लाईन का उपयोग नहीं किया गया है. वर्ष 2005 तक स्वीकृत योजनाओं में ही सीमेन्ट पाईप लाईन का उपयोग किया गया है. वर्ष 2005 के पश्चात् स्वीकृत योजनाओं में यू.पी.व्ही.सी. पाईप का प्रावधान है. (ख) जी नहीं.

जिला जांजगीर-चांपा में बंधक मुक्त कराए गए मजदूरों को प्रदत्त सुविधाएं

19. (*क्र. 1650) **श्री नारायण चंदेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक जिला जांजगीर-चांपा के कितने बंधक मजदूरों को मुक्त कराया गया ? (ख) बंधक मुक्त मजदूरों को पुनर्वास के लिए कौन-कौन सी सुविधायें शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है तथा मुक्त कराये जा चुके मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जा चुकी है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) **:** (क) 01 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक जिला जांजगीर-चांपा के किसी भी बंधक मजदूर को मुक्त नहीं कराया गया. (ख) बंधक मुक्त मजदूरों को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रति बंधक श्रमिक रुपये 20,000/- पुनर्वास राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें केन्द्रांश रुपये 10,000/- एवं राज्यांश रुपये 10,000/- प्रति बंधक श्रमिक सम्मिलित है. बंधक मजदूरों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे-इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जाबकार्ड, पात्रतानुसार श्रमिकों को 2/- रुपये किलो चावल, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ तथा एकल बत्ती कनेक्शन, राशन कार्ड आदि योजनाओं का लाभ दिया जाता है. रोजगार मूलक व्यवसाय, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां तथा दस्तकारी/शिल्प हेतु आवश्यक प्रशिक्षण तथा पूंजी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय की जाती है. 01 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक कोई भी बंधक श्रमिक नहीं होने से सुविधाएं दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता.

अटल ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत लाईन का विस्तार तथा स्थापित ट्रांसफार्मर

20. (*क्र. 1739) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अटल ज्योति योजना किन-किन जिलों में कब से प्रारंभ की गयी है ? (ख) अटल ज्योति योजना कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद संबंधित जिलों में कितनी-कितनी के.व्ही. लाईन के लिये कितनी-कितनी लम्बी लाईन बिछाई गई है एवं कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ? जानकारी जिलावार देवें ? (ग) अटल ज्योति योजना के नाम पर राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गयी है ?

---

† परिशिष्ट "छ:"

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में अटल ज्योति योजना 06 जिले यथा रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा में वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गयी है. (ख) अटल ज्योति योजना के अंतर्गत 06 जिलों में 4079 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन एवं 795 कि.मी. निम्न दाब लाईन बिछाई गई है तथा 1960 वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं. जिलावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गयी है. (ग) राज्य सरकार द्वारा अटल ज्योति योजना के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कुल रुपये 125 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी गई है.

अशासकीय संस्थाओं चयन के मापदण्ड तथा स्वीकृत अनुदान

21. (*क्र. 995) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिमजाति कल्याण विभाग में किन-किन योजनान्तर्गत कार्य एन.जी.ओ. के माध्यम से कराया जाता है और एन.जी.ओ. चयन के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? (ख) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में किन-किन एन.जी.ओ. को कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान की योजना अंतर्गत. चयन के मापदण्ड की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

रायपुर जिले में बाल श्रमिक रखने के पंजीबद्ध प्रकरणों पर कार्यवाही

22. (*क्र. 1696) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले अंतर्गत 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक कितने बाल श्रमिक रखने के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? विकासखण्डवार बतावें. (ख) उक्त समयावधि में पंजीबद्ध प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायपुर जिले अंतर्गत 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक बाल श्रमिक रखने के प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

विकासखण्ड तोकापाल, दरभा, बास्तानार एवं लोहण्डीगुडा के कृषकों को बोर उत्खनन एवं मोटर पंप हेतु स्वीकृत अनुदान

23. (*क्र. 364) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विकासखण्ड तोकापाल, दरभा, बास्तानार एवं लोहण्डीगुडा के कितने कृषकों को बोर उत्खनन एवं मोटर पंप के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) स्वीकृत बोर में कितने सफल/असफल हुए ? कितने कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जाना शेष है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विकासखण्ड तोकापाल, दरभा, बास्तानार एवं लोहण्डीगुडा के 11 कृषकों को बोर उत्खनन एवं 07 कृषकों को मोटर पंप के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखंड	स्वीकृत अनुदान वर्ष 2007-08		स्वीकृत अनुदान वर्ष 2008-09		योग	
		खनन अनुदान	पम्प अनुदान	खनन अनुदान	पम्प अनुदान	खनन अनुदान	पम्प अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	तोकापाल	4	2	1	0	5	2
2.	दरभा	0	0	1	1	1	1
3.	बास्तानार	0	0	0	0	0	0
4.	लोहण्डीगुडा	4	3	1	1	5	4
	योग	**8**	**5**	**3**	**2**	**11**	**7**

(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्वीकृत 11 प्रकरणों में से 8 नलकूप सफल एवं 03 असफल है. दिनांक 26-02-2010 की स्थिति में कार्यालय में कोई अनुदान प्रकरण लंबित नहीं है.

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ"

जगदलपुर वि. स. क्षेत्र में राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किया गया विद्युतीकरण

24. (*क्र. 234) **श्री संतोष बाफना :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 में जगदलपुर विधान सभा के कितने गांवों एवं मजराटोलों में राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वर्ष 2007-08, 2008-09 में कौन-कौन से गांवों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है एवं कौन-कौन से गांवों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के निरंक ग्रामों एवं मजराटोलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण नहीं) योजनान्तर्गत विद्युतीकरण किया गया है. (ख) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वर्ष 2007-08 में जगदलपुर शहर के 03 स्थानों यथा पुलिस कालोनी, निट कम्प्यूटर एवं अनुपमा टाकीज के पास चित्रकोट रोड में प्रत्येक स्थान पर 100 केव्हीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये. वर्ष 2008-09 में निरंक ग्रामों में अतिरिक्त टांसफार्मर लगाये गये. वर्तमान में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जगदलपुर वि.स. क्षेत्रांतर्गत संचालित पशु औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

1. (क्र. 1517) **श्री संतोष बाफना :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने पशु औषधालय संचालित हैं ? (ख) संचालित पशु औषधालय में स्टॉफ को स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की औषधालयवार जानकारी देवें ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) **:** (क) बस्तर जिले में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 09 पशु औषधालय संचालित हैं. (ख) संचालित 09 पशु औषधालय में स्टॉफ की स्वीकृति एवं कार्यरत पदों की औषधालयवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

क्र.	पशु औषधालय का नाम	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी			परिचारक			स्वच्छकार सह परिचारक (नैमत्तिक)		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	पशु औषधालय, कंगोली	1	1	–	1	1	–	1	1	–
2.	पशु औषधालय, नगरनार	1	1	–	1	1	–	1	1	–
3.	पशु औषधालय, नानगुर	1	1	–	1	1	–	1	1	–
4.	पशु औषधालय, बड़ेमरमा	1	–	1	1	1	–	1	1	–
5.	पशु औषधालय, कालागुड़ा	1	–	1	1	–	1	1	–	1
6.	पशु औषधालय, कुरंदी	1	1	–	1	1	–	1	–	1
7.	पशु औषधालय, कूकानार	1	1	–	1	1	–	1	1	–
8.	पशु औषधालय, ककनार	1	1	–	1	1	–	1	1	–
9.	पशु औषधालय, नेंगानार	1	1	–	1	1	–	1	1	–
	योग	**09**	**07**	**02**	**09**	**08**	**01**	**09**	**07**	**02**

(ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में नलजल योजना की स्वीकृति

1. (क्र. 374) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत किन ग्रामों में कितनी नलजल योजना संचालित है ? 2500 से अधिक जनसंख्या वाले कितने ग्रामों में नलजल योजना नहीं है? नाम सहित जानकारी दें ? (ख) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत कितने ग्राम पेयजल स्रोतविहीन है ? नाम सहित जानकारी दें ? (ग) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत वर्ष 2008-09 में किन-किन गांवों के लिये नलजल योजना की स्वीकृति दी गई ? लागत सहित ब्यौरा दें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत 14 ग्रामों में नलजल योजना संचालित है. † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. 2500 से अधिक जनसंख्या वाले 11 ग्रामों में नलजल योजना संचालित नहीं है. † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. (ख) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी ग्राम पेयजल स्रोतविहीन नहीं है. (ग) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 06 ग्रामों के लिये नलजल योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है. † संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार.

बस्तर जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु कम्प्यूटरों का क्रय

2. (क्र. 378) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत संचालित स्कूलों में 1-1-08 से 31-12-09 तक कितने कम्प्यूटर कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये ? कम्प्यूटर के साथ कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध करायी गयी ? (ख) कम्प्यूटर खरीदी किस स्तर पर की गई ? निविदाओं में से चयनित सामग्री किस-किस कंपनी की तथा प्रत्येक की कीमत क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) आदिमजाति विकास विभाग द्वारा 14 एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 कुल 33 कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है. कम्प्यूटर के साथ यू.पी.एस., लेजर प्रिंटर, कम्प्यूटर टेबल तथा कम्प्यूटर चेयर उपलब्ध करायी गयी है. (ख) 14 कम्प्यूटरों की खरीदी सहायक आयुक्त द्वारा जिला स्तर पर सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर पर की गई है. कंपनी तथा कीमत का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	सामग्री का नाम (2)	कंपनी का नाम (3)	स्पेशिफिकेशन (4)	दर प्रति नग (5)
1.	Desktop Computer Intel Pentium Dual Core Proccessor Configuration with Win XP	HCL	C.S.I.D.C. Item Code No. 4	27161.00
2.	Laser Printer (Brand-HP/Canon/ Samsung) Laser Printer Mono 18 P P M.	HP	C.S.I.D.C. Item Code No. 85	6864.00
3.	Line Interactive U.P.S. 05	Uniline Energy System (P) Ltd. New Delhi	C.S.I.D.C. Item Code No. 18	2956.00

19 कम्प्यूटर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर से क्रय कर जिले को प्रदाय किया गया है.

प्रदेश में कोल बेड मिथेन की उपलब्धता

3. (क्र. 467) **श्री सौरभ सिंह :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कोल बेड मिथेन के कितनी मात्रा में किन-किन जिलों में है ? (ख) क्या किसी एजेन्सी को इसके उपयोग की अनुमति दी गई है ? यदि हां तो, विस्तारपूर्वक बतावें ?

† परिशिष्ट "नौ"

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य में कोल बेड मिथेन के भण्डार का आंकलन नहीं हुआ है वस्तुत: प्रदेश के कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ एवं कोरबा जिले में भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा कोल बेड मिथेन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों को सीबीएम ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया जाकर विभिन्न संस्थानों को एक्सप्लोरेशन कार्य हेतु ब्लॉक आवंटित किये गये हैं, जिनका विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) राज्य में कोल बेड मिथेन का व्यवसायिक दोहन अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है. एक्सप्लोरेशन कार्य हेतु प्रदत्त लाइसेंसों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

रायपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में संचालित भवनविहीन आश्रम/छात्रावासों हेतु भवन व्यवस्था

4. (क्र. 1009) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं जांजगीर जिले में कितने विभागीय आश्रम एवं छात्रावास हैं ? कितने शासकीय भवन में संचालित हैं, कितने भवनविहीन हैं ? (ख) भवनविहीन आश्रम एवं छात्रावासों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिए जायेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

जिला	संचालित संस्था		शासकीय भवन में संचालित		भवनविहीन	
	आश्रम	छात्रावास	आश्रम	छात्रावास	आश्रम	छात्रावास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	38	162	29	91	09	71
जांजगीर-चांपा	18	87	05	43	13	44
योग	**56**	**249**	**34**	**134**	**22**	**115**

(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में जिलेवार नलकूप खनन तथा क्रय किए गए रिंग मशीन

5. (क्र. 1295) **श्री भजन सिंह निरंकारी :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में कुल कितने नलकूप खनन किये गये ? जिलेवार जानकारी देवें. (ख) वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में कितने रिंग मशीन किस फर्म से, किस दर पर क्रय किये गये ? वर्षवार जानकारी देवें.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2007 में 14877, वर्ष 2008 में 13991 एवं वर्ष 2009 में 13105 इस प्रकार कुल 41973 नलकूप खनन किये गये. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

सरगुजा जिले में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य तथा पूर्ति

6. (क्र. 1339) **श्री रविशंकर त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष अप्रैल 08 से मार्च 09 तक सरगुजा जिले में कृत्रिम गर्भाधान हेतु विकासखण्डवार कितना लक्ष्य दिया गया था ? (ख) उपरोक्त अवधि में विकासखण्डवार कितने-कितने कृत्रिम गर्भाधान किये गये बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट के कालम (3) में है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट के कालम (4) में है.

† परिशिष्ट "दस" †† परिशिष्ट "ग्यारह" ‡ परिशिष्ट "बारह"

नवीन आदिवासी विकासखण्ड के गठन की प्रक्रिया

7. (क्र. 1510) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आई.टी.डी.पी. के अंतर्गत नवीन आदिवासी विकासखण्ड के गठन की क्या प्रक्रिया है ? (ख) कंडिका "क" के परिप्रेक्ष्य में क्या जिला जशपुर के कोतबा, और सन्ना नवीन आदिवासी विकासखण्ड बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां तो, कब से ? नए विकासखण्ड का गठन कब तक किया जाएगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) आई.टी.डी.पी. के अंतर्गत नवीन आदिवासी विकासखण्ड के गठन की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं. (ख) जी हां. वर्ष 2003 से. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन/सदन में आरक्षण का मापदण्ड

8. (क्र. 1535) **श्री दूजराम बौद्ध :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन में आरक्षण की क्या वरीयता सूची है ? (ख) वर्ष 2009 में कितने दिन विधायकों के लिए आरक्षण दिया गया था तथा कितने दिन अधिकारियों के लिये ? अधिकारियों की वरीयता के आधार से जानकारी बतायें.

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ भवन अधिवास नियम 2004 के † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार आरक्षण की वरीयता सूची है. (ख) वरीयता के आधार से वर्ष 2009 में विधायकों के लिए 457 दिन तथा अधिकारियों के लिए 2500 दिन कक्ष आरक्षित किए गए थे.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन पर कार्यवाही

9. (क्र. 1677) **श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस खसरा नं. से कुल कितने रकबे की खदान किस-किस को पत्थर उत्खनन के लिए किस अवधि तक के लिए पट्टे पर दी गयी है ? (ख) क्या उक्त क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में पट्टाधारियों सहित अन्य लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हुई है ? (ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) हां. (ग) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में खनिज पत्थर/चूनापत्थर के लिए स्वीकृत पट्टेधारियों सहित अन्य लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, अपितु प्रश्नाधीन अवधि के पूर्व ग्राम मेड़ेसरा तहसील धमधा में श्रीमती सीमा सक्सेरिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पत्र की जांच राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा की गई. जांच सामुहिक रूप से सहा. अधीक्षक-भू अभिलेख, राजस्व निरीक्षक, ग्राम पटवारी, खनिज निरीक्षक एवं खनि सर्वेयर द्वारा की गई एवं श्रीमती सीमा सक्सेरिया निवासी गंजपारा दुर्ग के विरुद्ध ग्राम मेड़ेसरा तहसील धमधा के खसरा नंबर 1014/2, 1011/1 में 15047 मी. टन चूनापत्थर का अवैध उत्खनन का प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय दुर्ग में प्रस्तुत किया गया. प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.

खनिज विभाग में ई.ओ.डब्लू. में पंजीबद्ध अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी

10. (क्र. 1683) **डॉ. शिव कुमार डहरिया :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध ई.ओ.डब्लू. में कार्यवाही लंबित है ? (ख) ई.ओ.डब्लू. में कार्यवाही लंबित रहते हुए कितने अधिकारियों को विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) खनिज साधन विभाग के अंतर्गत छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के श्री पी. एस. यादव, उप महाप्रबंधक (खान) के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण क्रमांक 35/2006 दर्ज है. (ख) एक अधिकारी [श्री पी. एस. यादव, उप महाप्रबंधक (खान)]

---

† परिशिष्ट "तेरह" †† परिशिष्ट "चौदह"

प्रदेश में रायल्टी चोरी तथा अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण

11. (क्र. 1684) **डॉ. शिव कुमार डहरिया :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-01-2009 से 31-01-2010 तक प्रदेश में खनिज उत्खनन में रायल्टी चोरी एवं अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? खनिजवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त प्रकरणों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत लाभान्वित हितग्राही

12. (क्र. 1688) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत बस्तर, रायपुर संभाग के कितने-कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? कितने लोगों को लाभान्वित किया जाना शेष है ? शेष को लाभान्वित कब तक किया जाएगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** बस्तर संभाग के 98328 एवं रायपुर संभाग के 38652 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है. किसी भी पात्र हितग्राही को लाभान्वित किया जाना शेष नहीं है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

13. (क्र. 1706) **श्री चैतराम साहू :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के कुल कितने बोर हैं ? कितने बोर का पानी पीने योग्य नहीं है ? कितने बोर खराब हैं ? कब तक सुधार लिया जावेगा ? (ख) वर्ष 2009-10 में कितने बोर खोदने का लक्ष्य रखा गया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) **:** (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के कुल 1823 शासकीय नलकूप (बोर) है. 04 नलकूपों (बोर) का पानी कसैला होने के कारण पीने हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है. वर्तमान में 67 हैण्डपंप (बोर) खराब है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. यथाशीघ्र सुधारने का प्रयास किया जावेगा. (ख) विधान सभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है. रायपुर जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यानुसार भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-2010 में 136 नलकूपों (बोर) खनन कार्य प्रस्तावित है.

जिला रायगढ़ के बाल श्रमिक स्कूलों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अल्प देयकों की जानकारी

14. (क्र. 1747) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में रायगढ़ जिला के किन-किन स्थानों में बाल श्रमिक विशेष स्कूल किन-किन संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार के वित्त पोषण से संचालित है ? स्कूलों में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है ? (ख) विभिन्न विकासखण्डों में संचालित बाल श्रमिक विशेष स्कूल के बच्चों को कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, शैक्षणिक सामग्री एवं कर्मचारियों के वेतन हेतु उपलब्ध करायी जाती है ? मदवार प्रदाय की जाने वाली राशि की जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) **:** (क) रायगढ़ जिले में केन्द्र सरकार के वित्त पोषण से 08 विकासखंडों में 07 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 12 बाल श्रमिक विशेष स्कूल संचालित है. जिसमें 294 छात्र एवं 306 छात्राएं, कुल 600 बच्चे दर्ज है. (ख) रायगढ़ जिले को राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालन हेतु श्रम मंत्रालय भारत से नये बजट प्रावधान अनुसार 50 बच्चे प्रति स्कूल के नाम 2,44,400/- रुपये उपलब्ध कराई जाती है. उक्त राशि में बच्चों को मध्यान्ह भोजन, शैक्षणिक सामग्री, व्यावसायिक प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी आदि के साथ उन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, लिपिकों, भृत्य का मानदेय एवं स्कूल का भवन किराया, बच्चों की छात्रवृत्ति राशि प्रतिमाह, प्रति छात्र 100/- रुपये की राशि भी शामिल है.

---

† परिशिष्ट "पन्द्रह"

बस्तर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों/मजराटोलों का विद्युतीकरण

15. (क्र. 1750) **डॉ. सुभाऊ कश्यप :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्राम, मजराटोलों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? (ख) वर्ष 2009-2010 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्राम, मजराटोलों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? अपूर्ण ग्राम एवं मजराटोलों को कब तक विद्युतीकृत कर लिया जावेगा ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क)भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2004 को ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जारी नई परिभाषा के कारण बस्तर विधान सभा क्षेत्र के 30 ग्राम अविद्युतीकृत पाये गये हैं. वर्ष 1971 की जनगणना रिपोर्ट के पश्चात् की जनगणना रिपोर्टों में मजराटोले की अधिकृत सूची नहीं होने के कारण बस्तर जिले के अविद्युतीकृत मजरेटोलों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है. तथापि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में 100 से अधिक जनसंख्या वाले 350 अविद्युतीकृत मजरा-टोलों के विद्युतीकरण कार्य सम्मिलित हैं. (ख) वर्ष 2009-10 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत किसी भी ग्राम/मजराटोले का विद्युतीकरण नहीं किया गया है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत जारी किये जाने वाले कार्यादेश में परियोजना प्रतिवेदन सम्मिलित विद्युतीकरण कार्यों को पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले आदेश में उक्त आदेश को जारी होने की तिथि से 18 महीने की समय-सीमा रखी गई है.

आई.ए.एस. अधिकारियों के सम्पत्ति का ब्यौरा

16. (क्र. 1764) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन में कार्यरत आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा सम्पत्तियों का ब्यौरा कलेंडर वर्ष में 31 दिसम्बर की स्थिति में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है ? (ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2010 की स्थिति में प्रस्तुत ब्योरा किसका-किसका, क्या-क्या है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) जी हां. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

जिला रायपुर में अटल ज्योति योजना के तहत स्वीकृत राशि तथा निष्पादित कार्य

17. (क्र. 1779) **श्री चैतराम साहू :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में अटल ज्योति योजना के तहत कुल कितनी राशि स्वीकृत है ? दिनांक 20-2-2010 की स्थिति में विकासखण्डवार कितने कि.मी. लाइनों का कार्य किया गया है तथा कितने नग ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं ? (ख) कितने ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना एवं कितनी लाईनों का विस्तार किया जाना शेष है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) रायपुर जिले में अटल ज्योति योजना के तहत रुपये 105.45 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत है. दिनांक 20-02-2010 की स्थिति में रायपुर जिले में 1039 कि.मी. विद्युत वितरण लाईनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. 404 नग ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) 963 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 3110 कि.मी. विद्युत वितरण लाईन विस्तार के कार्य शेष है.

जिला जांजगीर-चांपा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदत्त सुविधाएं

18. (क्र. 1790) **श्री नारायण चंदेल :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में कितने नाम दर्ज हैं ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं एवं कितनी-कितनी सम्मान निधि उपलब्ध कराई जाती है ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** जिला जांजगीर-चांपा में 67 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम दर्ज है. राज्य शासन द्वारा भूमिहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासकीय भूमि आवंटन, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों को कृषि, पॉलीटेक्निक, मेडिकल एवं इंजिनियरिंग महाविद्यालय में दाखिले में आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नि:शुल्क चिकित्सा एवं सहायता उपचार एवं गंभीर रोगों की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता, निजी बसों में एक अटेंडेंट के साथ नि:शुल्क यात्रा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्राथमिकता, गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित खंडों एवं निर्मित भवनों के आवंटन में 4 प्रतिशत आरक्षण आदि सुविधायें स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को उपलब्ध कराई जाती है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को वर्तमान में राज्य शासन द्वारा रुपये 6000/- प्रतिमाह सम्मान निधि प्रदान की जा रही है.

---

† परिशिष्ट "सोलह"

जिला जांजगीर-चांपा में उद्योगों की स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

19. (क्र. 1791) **श्री नारायण चंदेल :** क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. किया गया है ? कम्पनियों के नाम पते सहित जानकारी देवें ? (ख) एम.ओ.यू. में स्थानीय लोगों को रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास में भागीदारी के क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं ?

मुख्य मंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) राज्य शासन द्वारा नये उद्योग स्थापित करने हेतु सामान्यत: किसी विशेष स्थान के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. नहीं किया जाता है. अपितु एम.ओ.यू. के पश्चात् उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों द्वारा स्वयं स्थल का चयन किया जाता है. केवल मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित अपने वर्तमान संयंत्र के विस्तार हेतु दिनांक 07-06-2007 को राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है. एम.ओ.यू. निष्पादन के पश्चात् जिन निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापनार्थ हेतु जांजगीर-चांपा जिले का चयन किया गया है उनकी सूची † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) एम.ओ.यू. की कंडिकाओं में निवेशकों को शासन की औद्योगिक नीति एवं पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा क्षेत्रीय विकास का प्रावधान है.

----

† परिशिष्ट "सत्रह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 430) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रश्नांश "क" के अन्तर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में चालू नल जल योजनाओं के गांव की जानकारी

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	विकासखण्ड (3)
1.	कोटमीसोनार	अकलतरा
2.	हरदी	अकलतरा
3.	अमोरा	अकलतरा
4.	परसदा	अकलतरा
5.	सोनसरी	अकलतरा
6.	तिलई	अकलतरा
7.	तागा	अकलतरा
8.	किरारी	अकलतरा
9.	पोंडीदल्हा	अकलतरा
10.	नरियरा	अकलतरा
11.	कापन	अकलतरा
12.	जालवपुर	बलौदा
13.	जर्वे (ब)	बलौदा
14.	खिसोरा	बलौदा
15.	पंतोरा	बलौदा
16.	चारपारा	बलौदा

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश "ख" के अन्तर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में बंद नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र. (1)	गांव का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	बंद का कारण (4)
1.	झलमला	अकलतरा	योजना पंचायत को हस्तांतरित है उनके द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण बंद है.
2.	पौना	अकलतरा	योजना पंचायत को हस्तांतरित है उनके द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण बंद है.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1695) के भाग (क) की जानकारी]

जिला अंतर्गत विकासखण्डवार दुग्ध समिति केन्द्र एवं दुग्ध संकलन की जानकारी दिनांक 31-12-09 की स्थिति

विकासखण्ड-सरायपाली

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	सदस्य संख्या (3)	औसत दुग्ध संकलन (4)
1.	अमलीडीपा	30	201
2.	केदुवा	85	60
3.	बिजातीपाली	56	84
4.	जलपुर	44	104
5.	पाटसेन्द्री	90	220
6.	गिरसा	30	18
7.	बोंदानवापाली	75	143
8.	अमरकोट	35	22
9.	बाराडोली	20	76
10.	जोगनीपाली	10	25
11.	सिरपुर	16	17
12.	मुड़पहार	12	31
13.	दर्राभाठा	30	89
14.	बिरकोल	30	20
15.	सानपंथी	17	50
16.	चंडीभौना	27	48
17.	अंतरझोला	10	53
18.	तिलाईपाली	25	31
19.	दुलारपाली	49	49
20.	गहनाखार	75	231
21.	केना	38	200
22.	दमोदरहा	38	40
23.	केजुवा	40	93
24.	तोसगांव	40	23
25.	परसदा	43	100
26.	लिमगांव	30	77
27.	कुटेला	25	74
28.	दर्रीपाली	10	64
29.	सिंघोदा	10	12
30.	बेलमुंडी	32	25
31.	मुधा	59	39
32.	केदूढार	25	61
33.	नवापाली	27	55
	कुल	**1183**	**2435**

विकासखण्ड-पिथौरा

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	सदस्य संख्या (3)	औसत दुग्ध संकलन (4)
1.	लावामोहा	25	14
2.	पिरदा	75	36
3.	राजपुर	25	35
4.	गिर्रा	31	16
5.	लालमाटी	23	49
6.	कुदेकेल	26	26
7.	सोनासिल्ली	42	43
8.	भिथिडीह	35	21
9.	लोहारीडोंगरी	28	36
10.	टेका	28	52
11.	डोंगरीपाली	43	90
12.	टप्पा	81	640
13.	बोरीलामी	10	39
14.	बुंदेली	10	25
15.	सरकदा	22	48
16.	खपराखोल	31	48
17.	ठाकुरदिया	36	87
18.	गोड़बहाल	51	257
19.	छिबर्रा	45	22
20.	अर्जुनी	76	125
21.	जम्हर	61	102
22.	खुटेरी	81	361
23.	कौहाकुड़ा	146	442
24.	दुरुगपाली	62	45
25.	बेलर	35	33
26.	कुम्हारीमुड़ा	38	36
27.	घोघरा	39	42
28.	घोंच	25	28
29.	गड़बेड़ा	68	161
30.	कसहीबहरा	61	198
31.	भैरोपुर	52	259
32.	जामजुड़ा	25	40
33.	तिलंजपुर	33	86
34.	थोडरकसा	18	40
	कुल	**1487**	**3582**

विकासखण्ड-बसना

क्रमांक	समिति का नाम	सदस्य संख्या	औसत दुग्ध संकलन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गरगांव	49	90
2.	दलदली	30	14
3.	चनाट	25	21
4.	लिमदरहा	27	41
5.	अजगरखार	67	124
6.	दालम	25	21
7.	आमापाली	23	63
8.	अकोरी	20	22
9.	बारगांव	25	55
10.	छांदनपुर	49	100
11.	चिमेरकेल	26	10
12.	बेंदारी	32	23
13.	कोईलारीडीह	30	109
14.	कामधेनू	20	113
15.	बड़ेसाजापाली	20	66
16.	उड़ेला	27	182
17.	कर्राभौना	33	114
18.	दुर्गापाली	22	47
19.	लंबर	32	57
20.	कहवाकुड़ा	38	65
21.	पिपरखुटा	40	48
22.	सिंघनपुर	121	258
23.	गौरटेक	46	92
24.	बोहारपार	36	52
25.	बरपेलाडीह	16	31
26.	बीरसिंगपाली	38	28
	कुल	**917**	**1846**

विकासखण्ड-महासमुंद

क्रमांक	समिति का नाम	सदस्य संख्या	औसत दुग्ध संकलन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खट्टा	18	41
2.	ढांक	47	93
3.	छिलपावन	87	267
4.	नरतोरा	93	202
5.	गोडपाली	61	123
6.	गोंगल	83	228
7.	बावनकेरा	74	67
8.	नवागांव	46	33
9.	अचानकपुर	54	65
10.	खिरसाली	38	31
11.	डूमरपाली	42	54
12.	सरेकेल	67	60
13.	रामपुर	41	44
14.	बाराकुड़ा	26	37
15.	बंदोरा	36	48
16.	पीढ़ी	18	37
17.	परसाडीह	18	25
18.	बरेकेल	37	51
19.	पाली	48	74
	कुल	**934**	**1580**

विकासखण्ड-बागबाहरा

1.	सम्हर	50	51
2.	बी. के. बहरा	109	49
3.	कोमा	44	64
	कुल	**203**	**164**
	महायोग	**4724**	**9607**

गोसवारा जिला-महासमुंद

क्रमांक	विकासखण्ड	दुग्ध समितियां	सदस्य संख्या	औसत दुग्ध संकलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महासमुंद	19	934	1580
2.	बसना	26	917	1846
3.	पिथौरा	34	1487	3582
4.	सरायपाली	33	1183	2435
5.	बागबाहरा	3	203	164
	कुल योग	**115**	**4724**	**9607**

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1402) के भाग (ख) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्डवार विद्युतीकृत किए गए मजराटोलों की संख्या

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	सम्पूर्ण/सघन विद्युतीकृत किये गये मजराटोला की संख्या		
		विद्युतीकृत मजराटोलों की संख्या	अविद्युतीकृत मजराटोलों की संख्या	कुल विद्युतीकृत मजराटोलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकलतरा	91	01	92
2.	पामगढ़	84	05	89
3.	बलौदा	115	08	123
4.	नवागढ़	121	03	124
5.	बम्हनीडीह	119	0	119
6.	सक्ती	237	11	248
7.	मालखरौदा	157	05	162
8.	जैजेपुर	136	44	180
9.	डभरा	220	66	286
	योग	**1280**	**143**	**1423**

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 772) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 31-12-2009 की स्थिति में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पंप कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों की माहवार जानकारी

क्रमांक (1)	माह (2)	आवेदनों की संख्या (3)
1.	जनवरी 2009	02
2.	फरवरी 2009	07
3.	मार्च 2009	07
4.	अप्रैल 2009	26
5.	मई 2009	10
6.	जून 2009	41
7.	जुलाई 2009	58
8.	अगस्त 2009	89
9.	सितम्बर 2009	61
10.	अक्टूबर 2009	41
11.	नवम्बर 2009	26
12.	दिसम्बर 2009	27
	योग	**395**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 501) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिला में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित भवनविहीन छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जानकारी

क्र. (1)	वि.ख. (2)	भवनविहीन संस्था का नाम (3)
1.	कोरबा	1. प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मदनपुर
		2. प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोरकोमा
		3. प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, गोढ़ी
		4. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोरकोमा
		5. प्री. मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, कुदुरमाल
		6. पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोरबा
2.	करतला	7. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोथारी
		8. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, फततेगंज
		9. प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, करतला
		10. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नोनबिर्रा
		11. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नवापारा
		12. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नोनदरहा
		13. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, लबेद
		14. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जर्वे
		15. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सुखरीकला
		16. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सेन्द्रीपाली
		17. प्री मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, करतला
		18. पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, करतला
3.	कटघोरा	19. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, अरदा
		20. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, कटघोरा
		21. पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कटघोरा
4.	पाली	22. प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, चैतमा
		23. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सिल्ली
		24. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कर्रानवापारा
		25. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, उतरदा
		26. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, कोरबीधतूरा
		27. प्री मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, हरदीबाजार
		28. पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पाली
5.	पोड़ीउपरोड़ा	29. प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा
		30. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा

(1)	(2)	(3)
		31. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जल्के
		32. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, लैंगा
		33. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, लैंगी
		34. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, माचाडोली
		35. प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सेन्हा
		36. प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, कोरबी
		37. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, सिंघिया
		38. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, पसान
		39. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा
		40. पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा

क्र. (1)	वि.ख. (2)		भवनविहीन संस्था का नाम (3)
1.	कोरबा	1.	आदिवासी कन्या आश्रम, सतरेंगा
		2.	आदिवासी कन्या आश्रम, धनगांव
		3.	आदिवासी कन्या आश्रम, चुईया
		4.	आदिवासी संयुक्त आश्रम, देवपहरी
2.	करतला	5.	आदिवासी कन्या आश्रम, मदवानी
		6.	आदिवासी बालक आश्रम, ढोढातराई
		7.	आदिवासी संयुक्त आश्रम, बरपाली
3.	कटघोरा	8.	आदिवासी बालक आश्रम, स्याहीमुडी
		9.	आदिवासी बालक आश्रम, मोगरा
4.	पाली	10.	आदिवासी बालक आश्रम, उडता
		11.	आदिवासी बालक आश्रम, जेमरा
		12.	आदिवासी बालक आश्रम, सपलवा
		13.	आदिवासी बालक आश्रम, सिल्ली
		14.	आदिवासी कन्या आश्रम, हरदीबाजार
		15.	बिझंवार (आदिवासी) बालक आश्रम, हरदीबाजार
5.	पोड़ीउपरोड़ा	16.	आदिवासी कन्या आश्रम, लेंगा
		17.	आदिवासी कन्या आश्रम, सिंघिया
		18.	आदिवासी कन्या आश्रम, मातिन
		19.	आदिवासी कन्या आश्रम, पाली
		20.	आदिवासी कन्या आश्रम, मेरई
		21.	आदिवासी बालक आश्रम, अरसिंया
		22.	आदिवासी बालक आश्रम, राहा
		23.	आदिवासी बालक आश्रम, तुमान
		24.	आदिवासी संयुक्त आश्रम, सिर्री

क्र. (1)	वि.ख. (2)	भवनविहीन संस्था का नाम (3)	
1.	कोरबा	1.	हाईस्कूल कन्या, भैसमा
		2.	हाईस्कूल कन्या, उरगा
2.	करतला	3.	हाईस्कूल, फततेगंज
3.	कटघोरा	4.	हाईस्कूल, ढेलवाडीह
		5.	हाईस्कूल, घुडदेवा
		6.	हाईस्कूल, डोंगरी
		7.	हाईस्कूल, बल्गीखार
		8.	हाईस्कूल, गोपालपुर
4.	पाली	9.	हाईस्कूल, परसदा
		10.	हाईस्कूल, नोनबिर्रा
		11.	हाईस्कूल, आमगांव
		12.	हाईस्कूल, बोईदा
		13.	हाईस्कूल कन्या, पाली
		14.	हाईस्कूल, बतरा
5.	पोड़ीउपरोड़ा	15.	हाईस्कूल, तानाखार
		16.	हाईस्कूल, लमना
		17.	हाईस्कूल, मड़ई
		18.	हाईस्कूल, घरीपखना
		19.	हाईस्कूल कन्या, पसान
		20.	हाईस्कूल, लोड़ीबहरा
1.	करतला	1.	उच्चतर माध्यमिक शाला, कोथारी
		2.	उच्चतर माध्यमिक शाला, बोतली
		3.	उच्चतर माध्यमिक शाला, तुमान
2.	कटघोरा	4.	उच्चतर माध्यमिक शाला, दीपका
3.	पाली	5.	उच्चतर माध्यमिक शाला, चैतमा
		6.	उच्चतर माध्यमिक शाला, उतरदा
		7.	उच्चतर माध्यमिक शाला, नुनेरा
		8.	उच्चतर माध्यमिक शाला, पोड़ीलाफा

प्रपत्र "ब"

कोरबा जिला में निर्माणाधीन छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों की जानकारी

क्र. (1)	वि.ख. (2)	संस्था का नाम (3)
1.	कोरबा	1. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोरकोमा 2. आदिवासी संयुक्त आश्रम, देवपहरी
2.	करतला	1. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सेन्द्रीपाली 2. आदिवासी संयुक्त आश्रम, बरपाली 3. उच्चतर माध्यमिक शाला, बोतली 4. उच्चतर माध्यमिक शाला, तुमान
3.	कटघोरा	1. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, कटघोरा 2. उच्चतर माध्यमिक शाला, दीपका
4.	पाली	1. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, उतरदा 2. प्री मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, हरदीबाजार 3. आदिवासी बालक आश्रम, सिल्ली 4. आदिवासी कन्या आश्रम, हरदीबाजार 5. बिझंवार (आदिवासी) बालक आश्रम, हरदीबाजार 6. उच्चतर माध्यमिक शाला, चैतमा 7. उच्चतर माध्यमिक शाला, उतरदा 8. उच्चतर माध्यमिक शाला, नुनेरा 9. उच्चतर माध्यमिक शाला, पोड़ीलाफा
5.	पोड़ीउपरोड़ा	1. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा 2. प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, पोड़ीउपरोड़ा 3. आदिवासी कन्या आश्रम, सिंघिया 4. आदिवासी कन्या आश्रम, मातिन 5. आदिवासी कन्या आश्रम, पाली 6. आदिवासी कन्या आश्रम, मेरई 7. आदिवासी बालक आश्रम, अरसिंया 8. आदिवासी बालक आश्रम, राहा 9. आदिवासी बालक आश्रम, तुमान 10. आदिवासी संयुक्त आश्रम, सिर्री

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1398) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	विकासखण्ड का नाम	आवंटिती कंपनी का नाम	आवंटित कोल ब्लॉक	आवेदित रकबा	खनि रियायत का प्रकार, जिसके लिए ब्लॉक आवंटित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पोड़ी-उपरोड़ा	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	चोटिया-I एवं II	1179.826 हे.	खनिपट्टा
2.	पोड़ी-उपरोड़ा	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, रायपुर.	मोरगा-I	15 वर्ग किमी	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
3.	पोड़ी-उपरोड़ा	गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	मोरगा-II	21 वर्ग किमी.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
4.	पोड़ी-उपरोड़ा	छ. ग. राज्य विद्युत मंडल डंगनिया, रायपुर	गिदमुरी एवं पतुरिया	2346.60 हे.	खनिपट्टा
5.	पोड़ी-उपरोड़ा	मदनपुर (नार्थ) कोल कंपनी प्रा. लि., रायपुर	मदनपुर (नार्थ)	2138.70 हे.	खनिपट्टा
6.	पोड़ी-उपरोड़ा	मदनपुर (साऊथ) कोल कंपनी प्रा. लि., रायपुर	मदनपुर (साऊथ)	713.952 हे.	खनिपट्टा
7.	पोड़ी-उपरोड़ा	म. प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल	मोरगा-IV	06 वर्ग कि.मी.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
8.	पोड़ी-उपरोड़ा	म. प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल	मोरगा-III	06 वर्ग कि.मी.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
9.	कोरबा	मे. छ. ग. केप्टिव कोल माइनिंग लि., रायपुर	नाकिया-1 एवं 2	2551.476 हे.	खनिपट्टा
10.	कोरबा	मे. ए. ई. एस. छ. ग. एनर्जी प्रा. लि.	सयांग	1001 हे.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
11.	कोरबा	मे. राठी स्टील एण्ड पावर लिमि., नई दिल्ली.	केशला नार्थ	7.5 वर्ग कि.मी.	खनिपट्टा

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	स्थान/ग्राम का नाम (2)	रकबा (हेक्टर में) (3)	रिमार्क (4)
1.	चोटिया	193.115	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
2.	लालपुर	14.608	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
3.	पोड़ी	11.218	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
4.	बनिया	15.939	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
5.	रानीअटारी	3.763	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
6.	अमगांव	41.962	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
7.	पोड़ी	33.076	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
8.	रलिया	16.605	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	मलगांव	0.753	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
10.	बरेली	157.253	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
11.	घाटमुड़ा	83.029	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
12.	बिंझरा	61.763	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
13.	जुनाडीह	94.470	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
14.	झाबर	5.704	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
15.	सिरकी	212.634	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
16.	दीपका	64.127	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
17.	सुवाभोड़ी	37.349	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
18.	झिंगटपुर	13.154	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
19.	चैनपुर	47.887	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
20.	रतिजा	34.405	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
21.	रैंकी	22.348	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
22.	बेलटीकरी	23.522	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23.	कुसमुण्डा	243.770	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
24.	ढेलवाडीह	2.825	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
25.	अभयपुर	37.697	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
26.	ढबढब	16.997	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
27.	सिंघाली	16.100	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
28.	भेजीनाला	128.308	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
29.	अरदा	147.605	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
30.	हर्राभाठा	3.763	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31.	लखनपुर	50.652	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
32.	विजयपुर	210.101	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
33.	डोकरीखार	36.855	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
34.	ढुरेना	62.670	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
35.	भिलाई	31.758	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
36.	विश्रामपुर	98.821	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
37.	दादर	2.007	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
38.	उदयडीह	2.444	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
39.	भिलाई	108.747	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
40.	कुदरीडांड	9.398	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रपत्र "स"

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में भारत सरकार द्वारा कोयला उत्खनन हेतु आवंटित कंपनियों की जानकारी

वर्ष 2007-08

स. क्र.	कोल ब्लॉक्स का नाम	कोल ब्लॉक्स आवंटित कम्पनी का नाम	कोयला मंत्रालय का आवंटन आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	परसा (ईस्ट) एवं कांटेबासन जिला सरगुजा.	मे. राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, जयपुर	दिनांक 25-6-07
2.	तराईमाल/दुर्गापुर-II जिला रायगढ़.	मे. भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	दिनांक 06-11-07
3.	सेयांग, जिला कोरबा	मे. एईएस छ.ग. एनर्जी लि., नई दिल्ली	दिनांक 06-11-07
4.	सोडिया, जिला सरगुजा	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन	दिनांक 25-7-2007
5.	दुर्गापुर/सरिया जिला रायगढ़	मे. डीबी पावर लिमिटेड, भोपाल	दिनांक 6-11-07
6.	मोरगा-III, जिला कोरबा	म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, भोपाल	दिनांक 25-7-2007
7.	मोरगा-IV, जिला कोरबा	म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, भोपाल	दिनांक 25-7-2007
8.	शंकरपुर (भटगांव-II) जिला सरगुजा.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सोनाखान भवन, रायपुर.	दिनांक 25-7-2007
वर्ष 2008-09			
1.	फतेहपुर ईस्ट, जिला सरगुजा	मे. फतेहपुर ईस्ट कोल कंपनी लिमिटेड	दिनांक 22-1-2008
2.	भास्कर पारा, जिला सरगुजा	मे. भास्कर पारा कोल कंपनी लि., रायपुर	दिनांक 21-11-2008
3.	गारे पेलमा, सेक्टर-III, जिला रायगढ़.	मेसर्स गोवा इन्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड पणजी, गोवा.	दिनांक 12-11-2008
4.	केसला नार्थ, जिला कोरबा	मेसर्स राठी उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली	दिनांक 5-8-2008
5.	दतिमा, जिला कोरिया	1. बिनानी सीमेंट लि.	दिनांक 5-9-2008
6.	फतेहपुर, जिला रायगढ़	1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लि. 2. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	दिनांक 6-2-2008
वर्ष 2009-10			
1.	रजगामार डीप साईड (साऊथ आफ फुल्काडीह नाला) जिला कोरबा.	1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि. रायपुर 2. मेसर्स टापवर्थ स्टील प्रा. लि. रसमड़ा दुर्ग	दिनांक 3-6-2009
2.	पेण्ड्राखी पूटा, परोगिया	मे. अकलतरा पॉवर लि. नई दिल्ली	दिनांक 9-9-2009

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1739) के भाग (ख) की जानकारी]

अटल ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पूर्ण किये गये लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी. में)	निम्न दाब लाईन (कि. मी. में)	स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	982	57	404
2.	धमतरी	694	227	427
3.	दुर्ग	2336	488	1082
4.	कबीरधाम	12	1	6
5.	बिलासपुर	41	20	31
6.	जांजगीर-चांपा	14	2	10
	योग	**4079**	**795**	**1960**

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 995) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अनुदान स्वीकृति की प्रारंभिक शर्तें :—

1. अधिकार के रूप में अनुदान सहायता हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा.

2. अनुदान सहायता इन नियमों एवं इस प्रसंग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी.

3. अनुदान सहायता हेतु केवल ऐसी संस्था आवेदन हेतु पात्र होगी :—

(i) जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं/अथवा शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत हों.

(ii) जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन आवेदन तिथि से 5 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा आवेदन तिथि को जिसका पंजीयन जीवित हो.

(iii) संस्था, जिस वर्ग (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के लिये कार्य करना चाहती है तो उस वर्ग का न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य संस्था के प्रबंध कारिणी में होना चाहिये तथा उनमें से न्यूनतम 3 सदस्य संस्था के पदाधिकारी भी होना आवश्यक होगा.

(iv) शैक्षणिक उत्थान की गतिविधि संचालित करने वाली वह संस्था :—

(अ) जिसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त हो.

(ब) "जिसके द्वारा संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल दर्ज संख्या के 60 प्रतिशत होना चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में कक्षा के मानक आकार का 60 प्रतिशत से अन्यून होनी चाहिए."

"जिसके द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कुल दर्ज संख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होना चाहिए, परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 50 से अन्यून होनी चाहिए."

(स) "जिसके द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कुल दर्ज संख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होना चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में कक्षा के मानक आकार का 50 प्रतिशत से अन्यून होनी चाहिए."

(द) छात्रावास एवं आश्रम में कुल दर्ज विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति का हो.

(इ) जो धर्म निरपेक्ष तथा स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है.

(v) जो आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को स्वयं के व्यय से पिछले तीन वर्षों से सफलता पूर्वक संचालित कर रही हो परंतु पूर्व से अनुदान सहायता प्राप्त संस्था को प्रवृत्ति के विस्तार एवं/अथवा नवीन प्रवृत्तियां हेतु शासन को यह संतोष होने पर कि संस्था द्वारा पूर्व प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है और उसी भांति विस्तारित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को एवं/अथवा नई प्रवृत्ति संचालित करने हेतु संस्था सक्षम है, इस नियम कंडिका के उपबंध किये जा सकेंगे.

4. कर्मचारियों के वेतन, महंगाई-भत्ता एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति के लिए शत-प्रतिशत अनुदान सहायता दी जावेगी. शेष समस्त आवेदित प्रवृत्तियों हेतु प्रदत्त अनुदान सहायता के अतिरिक्त लगने वाली राशि को संस्था स्वयं अपने स्रोतों से पूरा करेगी.

संस्था को दी जाने वाली अनुदान सहायता उसको स्वीकृत सभी प्रवृत्तियों एवं मद में (कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ता एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति को छोड़कर) होने वाले वास्तविक व्यय की 90 प्रतिशत राशि से अनाधिक होगी.

5. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अंदर (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में) अनुदान सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था से प्राप्त कर कलेक्टर के माध्यम से शासन एवं आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रेषित किया जाएगा.

6. शैक्षणिक प्रवृत्तियों के लिए स्टॉफ पैटर्न राज्य शासन के स्वीकृत सेटअप के अनुसार तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित प्रवृत्तियों के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप मान्य होगा. जिन प्रवृत्तियों के लिए सेटअप शासकीय विभागों से स्वीकृत नहीं है उनके लिए सेटअप की स्वीकृति शासन में निहित रहेगी.

7. गैर शैक्षणिक प्रवृत्तियों के लिए समस्त प्रसंगों में मापदण्ड संबंधित प्रशासकीय विभाग अथवा/एवं छत्तीसगढ़ शासन के अन्य प्रशासकीय विभाग तत्समय प्रवृत्त मापदण्ड के अनुसार होंगे.

8. कोई संस्था उसी उद्देश्य/गतिविधि/प्रवृत्ति हेतु, जिसके लिए, विभाग द्वारा अनुदान सहायता प्रदत्त की गई है, छत्तीसगढ़ शासन के अन्य किसी विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी.

9. शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों में प्रवर्तन से छूट दे सकेगा और उन्हें तदर्थ या किसी भी अन्य विशेष आधार पर अनुदान सहायता दे सकेगा, जिसके लिए अलग से शर्तें प्रभावशील की जा सकेगी.

अनुदान सहायता हेतु आवेदन एवं स्वीकृति आदि की प्रक्रिया :—

(अ) **सामान्य अनुदान सहायता की प्रक्रिया :—**

(1) नवीन अनुदान सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्था का प्रस्ताव, जिला कलेक्टर के कार्यालय में 31 अगस्त के पूर्व विहित प्रपत्रों (1 से 8) में आवेदन पत्र व कलेक्टर के कार्यालय से विभागाध्यक्ष को 31 अक्टूबर के पूर्व अथवा तथा विभागाध्यक्ष से शासन को 31 दिसंबर के पूर्व तक अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाना चाहिये.

(2) अनुदान नवीनीकरण के प्रस्ताव 30 जून के पूर्व/तक जिला कलेक्टर को तथा जिला कलेक्टर से पूर्ण परीक्षण उपरांत अनुशंसा सहित 31 अक्टूबर के पूर्व/तक विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाना चाहिये. विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षण उपरांत शासन स्वीकृति के लिए नवीनीकरण अनुदान के प्रकरण 31 दिसंबर के पूर्व/तक अनुशंसा सहित प्रेषित की जानी चाहिये.

(3) आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित एवं अभिप्रमाणित गत वर्ष के लेखे व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे. सक्षम अधिकारी के द्वारा चाहे पर एक से अधिक वर्ष के लेखे भी संस्था को प्रस्तुत करना होगा.

(4) आवेदन पत्र के साथ आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को निरंतर रखे जाने बाबत् आवश्यक निरंतरता प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा.

(5) आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों हेतु भवन पर्याप्त है, इस आशय का विवरण व प्रमाण (साइट प्लान, नक्शा आदि) आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा.

(6) अनुदान सहायता के आवेदन पत्र के साथ संस्था को इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसी प्रवृत्ति के लिए राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त नहीं किया जा रहा है.

(7) संस्था को अनुदान सहायता के आवेदन पत्र के साथ विहित इकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा.

(8) संस्था अनुदान देयकों एवं इकरारनामा आदि में हस्ताक्षर करने हेतु अपने एक प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर उसका नाम एवं पता सक्षम अधिकारी को सूचित करेगी. राशि के दुरुपयोग अथवा गबन की स्थिति में राशि वसूली का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर निर्धारित किया जावेगा.

(9) संस्था को अनुदान सहायता स्वीकृत किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी अथवा जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी संस्था एवं उसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, जिसके गुण-दोष के आधार पर अधिकार सीमा के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी.

(10) जिला अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं राज्य शासन प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी मंगवा सकेगा, उपरोक्त में से कोई अधिकारी यदि अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु सक्षम हो तो आवेदन के संबंध में कार्यवाही करेगा अन्यथा गुण-दोष के आधार पर स्पष्ट अभिमत अंकित कर उचित माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रेषित कर देगा.

(11) अनुदान सहायता स्वीकृत कर्ता अधिकारी आवेदित अनुदान में कटौती करने के आदेश दे सकेगा, जिसके कारण लिपिबद्ध किये जावेंगे.

(12) जिस प्रायोजन के लिए अनुदान सहायता दी गयी है उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जावेगी, संस्था को तद्नुसार अनुदान सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में अंतिम किश्त की स्वीकृति से पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा.

(13) जिला वित्तीय वर्ष के लिए संस्था को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन में उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए. अनुदान सहायता में से जो राशि अव्ययित रह जाए उसे विभाग के प्राप्ति शीर्ष में 31 मार्च के पूर्व चालान द्वारा जमा किया जाना होगा.

(14) पूर्व से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के नवीनीकरण मामले में अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में निहित सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, निरंतरता वाले प्रकरणों में विगत वर्ष कुल स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत, प्रथम किश्त की राशि प्रत्येक वर्ष माह जून में तथा तृतीय एवं अंतिम किश्त के प्रस्ताव विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग को उनके स्वीकृति के अधिकार सीमा अन्तर्गत 31 अक्टूबर/दिसम्बर तक अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए.

(15) संस्था को अपनी कार्यकारिणी समिति में विभाग के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य होगा.

(16) नवीन अनुदान केवल उन्हीं प्रवृत्तियों के लिए स्वीकृत होगा जिसमें अनुदान नियमों का पालन किया गया है.

(17) जब कभी कोई अनुदान सहायता प्राप्त संस्था, इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के संबंध में उसके कार्य संपादन पर अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी का समाधान न कर पाये तो वह उक्त संस्था के प्रबंधन को वर्णित खामी/त्रुटि को दूर/ठीक करने के लिए एक निर्धारित समय के भीतर नोटिस देगा और संस्था द्वारा नोटिस का पालन न किये जाने पर अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी अनुदान रोक सकेगा या उसकी राशि कम कर सकेगा या दी गई राशि की वसूली का आदेश दे सकेगा.

(18) किसी भी संस्था द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान सहायता से अधिक राशि की मांग की जाने पर ऐसी अतिरिक्त मांग का सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए. मांग का पूरा औचित्य होने पर बढ़ी हुई राशि की मांग के प्रस्ताव को जिला अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजा जायेगा. कलेक्टर उसे अपनी अनुशंसा सहित सक्षम अधिकारी को भेजेंगे. सक्षम अधिकारी पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही अधिक प्रस्तावित राशि का समावेश अगले वर्ष के प्रस्ताव में किया जा सकेगा. परन्तु कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि इस नियम के परिधि से बाहर होगी.

(ब) भवन अनुदान सहायता हेतु पात्रता एवं स्वीकृति की प्रक्रियाएँ :—

(1) भवन अनुदान सहायता अनावर्ती अनुदान सहायता है जो उसी स्थिति में स्वीकृत की जा सकेगी, जब संस्था के पास भवन हेतु स्वयं की भूमि या कम से कम तीस वर्षों के लिए लीज पर ली गई भूमि उपलब्ध हो.

(2) संस्था की गतिविधियों के संचालन हेतु भवन, छात्रावास, आश्रम तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण, खरीदी तथा जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति की जा सकेगी. भवन अनुदान सहायता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ कार्य की कुल लागत का 20 प्रतिशत अंश संस्था द्वारा स्वयं वहन करने का सहमति पत्र देना होगा.

(3) अनुदान स्वीकृति पश्चात् संस्था को अपने हिस्से की 20 प्रतिशत राशि का निर्माण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने का प्रमाण-पत्र शासन के कार्य निर्माण के (वर्क्स डिपार्टमेंट) सक्षम तकनीकी अधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी से अनिम्न हो के मूल्यांकन प्रतिवेदन सहित शासन को भेजना होगा, तत्पश्चात् स्वीकृत अनुदान राशि दो किश्तों में कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर विमुक्त की जा सकेगी.

(4) निर्मित भवन क्रय के मामले में कुल मूल्य की 20 प्रतिशत राशि का जिला अधिकारी के कार्यालय में एकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा. इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

(5) भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा विभाग में स्वीकृत ड्राइंग डिजाईन एवं प्राक्कलन के अनुसार विभिन्न भवनों के निर्माण प्रस्तावों के लिए निम्नानुसार होगी :—

संस्था (1)	सीट संख्या (2)	लागत (लाखों में) (3)
प्रीमैट्रिक छात्रावास	30 सीटर	24.12
प्रीमैट्रिक छात्रावास	50 सीटर	29.24
प्रीमैट्रिक छात्रावास	100 सीटर	44.56
आश्रम स्कूल	100 सीटर	62.37
आश्रम स्कूल	50 सीटर	35.86
आश्रम स्कूल	30 सीटर	31.88
हाईस्कूल/उ.मा.वि. (500 एवं उससे ऊपर दर्ज संख्या तक)		45.67
हाईस्कूल/उ.मा.वि. (500 से कम दर्ज संख्या तक)		21.38
पो. मै. छात्रावास	50 सीटर	34.40
पो. मै. छात्रावास	100 सीटर	84.22
प्राचार्य निवास गृह		06.79
व्याख्याता निवास	2 यूनिट	20.98
लिपिकीय आवास		03.00
चौकीदार आवास		02.18
अधीक्षक आवास		03.00
अतिरिक्त कक्ष		04.15

टीप :— भविष्य में विभागीय भवनों की स्वीकृति लागत पुनरीक्षित किये जाने पर पुनरीक्षित दरों के अनुरूप भवन अनुदान दिया जा सकेगा.

(6) निर्माण कार्य का लेखा-जोखा, प्रसारित किये गये विहित प्रपत्र में रखना होगा.

(7) निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर वास्तविक व्यय के संबंध में कार्य विभाग अथवा आ.जा.क. विभाग के अनुविभागीय अधिकारी से अनिम्न अधिकारी से कार्य का अंतिम मूल्यांकन एवं पूर्णत: प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा. प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि कार्य अनुमोदित मानचित्र एवं स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर ही किया गया है.

(8) संस्था के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट-"ब" में इकरारनामा निष्पादित करना होगा.

(9) निर्माण कार्य के स्वीकृत/प्रगति के संबंध में परिशिष्ट-"क" में पंजी का संधारण जिला अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा.

(10) अनुदान सहायता से संस्था के लिए बनाया गया/क्रय किया गया भवन (आंशिक/पूर्ण) संबंधित गतिविधि बंद होने अथवा/एवं संस्था की सभी प्रकार की अनुदान सहायता बंद किये जाने पर, शासनाधीन होगा. संस्था द्वारा ऐसे भवन शासन की अनुमति के बिना :—

1. बेचा नहीं जा सकेगा.
2. रहन (गिरवी) नहीं रखा जा सकेगा.
3. किराये पर नहीं दिया जा सकेगा, तथा
4. किसी भी विधि से किसी अन्य को किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं दिया जा सकेगा.

प्रपत्र "ब"

क्र.	एन. जी. ओ./संस्था का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	
		वर्ष 08-09	वर्ष 09-10
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर	3,78,23,331/-	3,42,79,372/-
2.	रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम, धरमपुरा	37,33,749/-	31,66,887/-
3.	रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट, जशपुर बगीचा	43,45,579/-	52,74,592/-
4.	विवेकानंद विद्यापीठ,कोटा रायपुर	94,67,791/-	76,77,985/-
5.	माता रूक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल, बस्तर	3,33,83,939/-	2,97,16,427/-
6.	जे. के. ट्रस्ट ग्राम विकास योजना, रायपुर	-	3,15,00,000/-
7.	सनातन संत समाज गहिरा सामरबार जिला-जशपुर	1,82,61,180/-	2,06,58,516/-
8.	डॉ. अम्बेडकर शिक्षण संस्था, डोंगरगढ़	37,33,900/-	13,04,000/-
9.	म.प्र. वनवासी सेवा मण्डल, मण्डला	1,97,67,626/-	1,53,23,333/-
10.	दीनदयाल वनवासी सेवा समिति मुंगेली, जिला-बिलासपुर	55,04,480/-	5,82,500/-
11.	महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, जगदलपुर	1,33,000/-	99,750/-
12.	वनवासी विकास समिति लंजोड़ा बस्तर	30,21,000/-	15,750/-
13.	बस्तर सेवक मण्डल लालबाग, जगदलपुर	26,96,371/-	30,37,760/-
14.	विश्व मानव कल्याण सेवा संस्थान, जैबेल बस्तर	10,11,332/-	4,68,299/-
15.	उर्सुलाईन चेरिटेबल सोसाएटी धरमजयगढ़	10,04,477/-	16,04,415/-
16.	आर्य विद्या सभा, सलखिया	16,92,010/-	15,19,533/-
17.	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर	35,46,440/-	4,09,830/-
18.	सोसायटी आफ फायर मायनस, बासीन	22,28,598/-	22,51,089/-
19.	म. प्र. जेशुएट्स सोसायटी, पत्थलगांव	5,80,018/-	5,58,655/-
20.	लूथरन एजूकेशन सोसायटी ईचकेला	38,25,836/-	50,18,463/-
21.	म. प्र. सेंटाक्रूस सिस्टर्स एशोसियेशन होलीक्रास, पत्थलगांव	12,36,276/-	7,00,111/-
22.	काथलिक संस्थाएं जशपुर पश्चिम परिक्षेत्र, कुनकुरी	6,97,247/-	1,47,936/-
23.	म. प्र. जेशुएट्स सोसायटी पत्थलगांव, गोर्रापारा	26,40,749/-	26,53,641/-
24.	म. प्र. नोट्रडेम सिस्टर सोसाइटी, मुसगुटरी	2,02,565/-	22,04,061/-
25.	म. प्र. डाटर्स ऑफ संत अन्ना एसोशिएशन, कुनकुरी	35,18,247/-	28,17,632/-
26.	सरहापानी पेरिस विकास शिक्षा समिति सरहापानी	46,47,516/-	44,68,693/-
27.	काथलिक संस्थाएं जशपुर दक्षिण परिक्षेत्र	3,00,524/-	75,494/-
28.	सचिव, बाल्को शिक्षण समिति,कोरबा	69,65,128/-	79,61,581/-
29.	अध्यक्ष, शास्त्री शिक्षण समिति, हरदीबाजार कोरबा	14,80,743/-	22,95,000/-
30.	निर्देशक विशप हाउस सरगुजा	77,60,605/-	58,20,528/-
31.	उर्सुलाईन चेरिटेबल सोसाइटी झिंगो सरगुजा	26,97,547/-	16,48,161/-
32.	कैथोलिक डायसिस समिति प्रभातराई, सरगुजा	28,20,083/-	21,15,063/-
33.	मंत्री सर्वोदय समिति सरगुजा	34,13,037/-	25,15,904/-
34.	सरस्वती शिशु मंदिर	35,00,000/-	-
35.	सेवा भारती रामतीर्थ, होशंगाबाद	40,00,000/-	-
36.	शारदा शिक्षण समिति	9,00,000/-	-
37.	लोक शक्ति हाईस्कूल, गोबरसिंहा रायगढ़	5,00,000/-	-
38.	आदर्श हाईस्कूल केसला, केसला शिक्षण संस्था केसला, लैंलूंगा रायगढ़	5,00,000/-	-

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	अशासकीय संस्था वनवासी आर्य शिक्षा समिति, तोलमा, लैलुंगा द्वारा संचालित प्राथमिक/माध्यमिक स्तर कन्या, थोथापारा रायगढ़.	3,00,000/-	-
40.	मां भुवनेश्वरी हाईस्कूल, डोंगरीगढ़, बिलासपुर	5,00,000/-	-
41.	श्री विनायक उ. मा. शा. खैरा, वि. खं.-कोटा, जिला-बिलासपुर	4,00,000/-	-
42.	वियानी उ. मा. विद्यालय सरभोका (नागपुर) कोरिया	5,00,000/-	-
43.	आदर्श विद्या मंदिर, हायर सेकेण्डरी स्कूल, खोंगपानी कोरिया	5,00,000/-	-
44.	एकलव्य वनवासी बालक छात्रावास, मनेन्द्रगढ़, कोरिया	5,00,000/-	-
45.	पी. के. ठाकुर मेमो उ. मा. विद्यालय, खोंगापानी कोरिया	5,00,000/-	-
46.	प्रा. शा./मा. शा. कोरिया, संत जेवियर्स वि.खं. कोरिया	5,00,000/-	-
47.	संत राजमोहिनी देवी कन्या छात्रावास, खेड़ार जशपुर	5,00,000/-	-
48.	वनवासी कोरबा सेवा आश्रम सारुढाब, प्रा. शा., राटवन, पूर्व मा. शा. राटवन, जशपुर.	5,00,000/-	-
49.	सती सेवा मानव विकास समिति बगडोल, प्रा. शा. एवं आश्रम जशपुर	5,00,000/-	-
50.	सर्वेश्वरी बाल विद्यामंदिर बगीचा जशपुर	5,00,000/-	-
51.	डॉ. अंबेडकर विद्यालय, नीमगांव जशपुर	5,00,000/-	-
52.	पू. मा. शा. शांति भवन, संत मे.बी.ए., जशपुर	5,00,000/-	-
53.	क्रिश्चियन पू.मा.शा./प्राथ. शा. सूर सूर्यापारा, सीतापुर सरगुजा	5,00,000/-	-
54.	विवेकानंद वनवासी बालक छात्रावास, अंबिकापुर सरगुजा	5,00,000/-	-
55.	महर्षि बाल्मीकि आश्रम, कोरबा	5,00,000/-	-
56.	गौमुखी सेवाधाम ग्राम देवपहरी कोरबा	5,00,000/-	-
57.	हाईस्कूल नेहरू स्मारक मोरबा, बिलासपुर पलोटाइन सोसायटी कोरबा	5,00,000/-	-
58.	पू.मा.शा. मोरगा, होलीक्रास मोरगा कोरबा	5,00,000/-	-
59.	प्रा. शा. दंतेवाड़ा, विद्याभारती शिक्षा समिति, दन्तेवाड़ा	5,00,000/-	-
60.	अखंड ज्योति विद्यामंदिर आश्रम शाला, बकावण्ड	5,00,000/-	-
61.	शहीद बिरसामुंडा बालक छात्रावास, गरियाबंद, रायपुर	5,00,000/-	-
62.	शबरी कन्या आश्रम, रायपुर	5,00,000/-	-
63.	भारतीय विद्या निकेतन, उ.मा.शा. राहौद, जांजगीर	5,00,000/-	-
64.	छत्तीसगढ़ हायर सेकण्डरी स्कूल कोटमीसोनार, राजनांदगांव	5,00,000/-	-
65.	डॉ. अम्बेडकर उ.मा.वि. मोतीपुर, राजनांदगांव	5,00,000/-	-
66.	प्रतिभा विद्या मंदिर, नंदेली रायगढ़	5,00,000/-	-
67.	सुमित छात्रावास, बिलासपुर	5,00,000/-	-
	योग राशि रुपये	**21,77,41,104/-**	**19,98,90,961/-**

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "नौ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 374) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित नलजल योजना की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	योजना की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दरभा	छिन्दावाड़ा	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
2.	दरभा	कुकानार	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
3.	लोहण्डीगुड़ा	लोहण्डीगुड़ा	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
4.	लोहण्डीगुड़ा	उसरीबेड़ा	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
5.	लोहण्डीगुड़ा	कुम्हली	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
6.	तोकापाल	परपा	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
7.	तोकापाल	तोकापाल	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
8.	तोकापाल	बड़ेआरापुर	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
9.	तोकापाल	साकरगांव	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
10.	तोकापाल	बड़ेमोरठपाल	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित
11.	तोकापाल	रायकोट	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित नहीं है.
12.	तोकापाल	केशलूर	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित नहीं है.
13.	तोकापाल	राजूर	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित नहीं है.
14.	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल	चालू	ग्राम पंचायत को हस्तातंरित

प्रपत्र ''ब''

2500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों मे नलजल योजना संचालित नहीं है की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	2001 की जनगणना अनुसार ग्राम की जनसंख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दरभा	डिलमिली	2721	-
2.	दरभा	पखनार	3462	-
3.	दरभा	चितापुर	2813	-
4.	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट	2969	-
5.	लोहण्डीगुड़ा	गढ़िया	3446	स्थल जल प्रदाय योजना संचालित है.
6.	तोकापाल	कुरेंगा	2757	-
7.	तोकापाल	छापरभानपुरी	2875	स्थल जल प्रदाय योजना संचालित है.
8.	बास्तानार	बास्तानार	2833	-
9.	बास्तानार	बड़ेकाकलूर	3739	-
10.	बास्तानार	मूतनपाल	2610	स्थल जल प्रदाय योजना स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर.
11.	बास्तानार	कोड़ेनार	4404	स्थल जल प्रदाय योजना स्वीकृत

प्रपत्र ''स''

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में जिन ग्रामों में नलजल योजना की स्वीकृति दी गई है, लागत सहित विवरण

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम/योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोहण्डीगुड़ा	बड़ेधाराउर (आवर्धन योजना)	101/20-05-2008	24.81	योजना प्रगति पर है
2.	लोहण्डीगुड़ा	अलनार	103/20-05-2008	24.81	योजना प्रगति पर है
3.	लोहण्डीगुड़ा	कोड़ेबेड़ा/चन्दनपुर	148/23-06-2008	24.96	योजना प्रगति पर है
4.	तोकापाल	परपा (आवर्धन योजना)	17/10-04-2008	18.20	योजना प्रगति पर है
5.	तोकापाल	राजूर (आवर्धन योजना)	13/09-04-2008	19.70	योजना प्रगति पर है
6.	तोकापाल	बड़ेआरापुर/तेलंगाआरापुर (आवर्धन योजना)	12/09-04-2008	21.33	योजना प्रगति पर है

परिशिष्ट ''दस''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 467) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	ब्लॉक/एरिया	संस्थानों/जिन्हें आवंटन प्राप्त है, का नाम	पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाईसेंस की अवधि	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोरिया	सोनहत (नार्थ) 745 वर्ग कि . मी.	मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भोपाल.	30-10-2004 से 29-10-2008	अवधि दिनांक 29-10-2008 को समाप्त हो चुकी है. कंपनी द्वारा दिनांक 01-12-2009 को नवकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है.
2.	सरगुजा	तातापानी-रामकोला 458 वर्ग कि. मी.	**संयुक्त रूप से** 1. मेसर्स एरो एनर्जी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली. 2. गेल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली 3. ई. आई. जी. एनर्जी इंफ्रक्चर, ग्रुप एबी. 4. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मुंबई	16-4-2008 से 15-04-2012	एक्सप्लोरेशन कार्य जारी है.
3.	रायगढ़ एवं कोरबा	माण्ड-रायगढ़ 634 वर्ग कि. मी.	**संयुक्त रूप से** 1. मेसर्स एरो एनर्जी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली. 2. गेल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली. 3. ई. आई. जी. एनर्जी इंफ्रक्चर, ग्रुप एबी.	3-10-2008 से 2-10-2012	एक्सप्लोरेशन कार्य जारी है.

परिशिष्ट ''ग्यारह''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1295) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र ''अ''

क्र.	जिला	वर्षवार कुल खनित नलकूपों की संख्या			
		वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	1716	1192	981	3889
2.	धमतरी	954	983	467	2404
3.	महासमुंद	338	262	621	1221
4.	दुर्ग	593	649	723	1965
5.	राजनांदगांव	1125	685	1166	2976
6.	कबीरधाम	705	628	689	2022
7.	बिलासपुर	795	687	872	2354
8.	कोरबा	789	1793	1226	3808
9.	जांजगीर-चांपा	688	543	609	1840
10.	रायगढ़	1232	671	850	2753
11.	जशपुर	853	1023	955	2831
12.	सरगुजा	2202	2037	1321	5560
13.	कोरिया	491	361	436	1288
14.	बस्तर	960	1062	937	2959
15.	नारायणपुर	0	44	58	102
16.	दंतेवाड़ा	1087	560	501	2148
17.	बीजापुर	0	84	110	194
18.	कांकेर	349	727	583	1659
	योग	**14877**	**13991**	**13105**	**41973**

प्रपत्र ''ब''

वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में क्रय की गई रिग मशीन की जानकारी

क्र.	क्रय की गई मशीन का विवरण	क्रय आदेश क्रमांक एवं दिनांक	मशीन प्राप्ति का दिनांक	निर्माता फर्म का नाम जिससे रिग मशीन क्रय की गई	मात्रा	दर प्रति नग रिग मशीन उपकरणों के साथ (समस्त कर एवं निरीक्षण चार्जेस व ट्रांसपोर्टेशन सम्मिलित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	दो ट्रक (4X2) माउन्टेड हाइड्रोलिकली आपरेटेड काम्बीनेशन ड्रिलिंग रिग मशीन क्षमता 650 सी. एफ. एम./200 पी. एस. आई. मय खनन उपकरणों तथा समस्त करो (एक्साईज ड्यूटी+सेल्स टेक्स) निरीक्षण चार्जेस, ट्रांसर्पोटेशन कमीशनिंग ट्रायल एवं टेस्टिंग के साथ.	क्र. 2337 दिनांक 9-10-2007	29-03-2008	मेसर्स के. एल. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (निर्माता)	2 नग	1,03,99,500=00
2.	दो ट्रक (4X2) माउन्टेड हाइड्रोलिकली आपरेटेड काम्बीनेशन ड्रिलिंग रिग मशीन क्षमता 1000 सी. एफ. एम./275 पी. एस. आई. मय खनन उपकरणों तथा समस्त करो (एक्साईज ड्यूटी+सेल्स टेक्स) निरीक्षण चार्जेस, ट्रांसर्पोटेशन कमीशनिंग ट्रायल एवं टेस्टिंग के साथ.	क्र. 2339 दिनांक 9-10-2007	29-03-2008	मेसर्स के. एल. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (निर्माता)	1 नग	1,07,98,000=00
3.	दो ट्रक (4X2)माउन्टेड हाइड्रोलिकली आपरेटेड डी. टी. एच. ड्रिलिंग रिग मशीन क्षमता 1000 सी. एफ. एम./275 पी. एस. आई. मय खनन उपकरणों तथा समस्त करो (एक्साईज ड्यूटी+सेल्स टेक्स) निरीक्षण चार्जेस, ट्रांसर्पोटेशन कमीशनिंग ट्रायल एवं टेस्टिंग के साथ.	क्र. 2341 दिनांक 9-10-2007	29-03-2008	मेसर्स के. एल. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (निर्माता)	2 नग	94,99,500=00
4.	ट्रेक्टर व ट्रक (4X2)माउन्टेड हाइड्रोलिकली आपरेटेड डी. टी. एच. ड्रिलिंग रिग मशीन क्षमता 475 सी. एफ. एम./150 पी. एस. आई. मय खनन उपकरणों तथा समस्त करो (एक्साईज ड्यूटी+सेल्स टेक्स) निरीक्षण चार्जेस, ट्रांसर्पोटेशन कमीशनिंग ट्रायल एवं टेस्टिंग के साथ.	क्र. 2345 दिनांक 9-10-2007	09-02-2008	मेसर्स के. एल. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (निर्माता)	3 नग	60,99,500=00
5.	ट्रेक्टर माउन्टेड ड्रिलिंग रिग नं.-1 क्षमता 650/200 पी. एस. आई./(हेमर/बीट एवं 90 मीटर की ड्रील रॉड सहित)	क्र. 1778 दिनांक 28-12-2006	06-04-2007	मेसर्स बोरवेल एक्यूपमेंट कम्पनी प्रा. लि. हैदराबाद (निर्माता)	1 नग	59,15,000=00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	के. एल. आर. काम्बीनेशन रिग नं.-3 क्षमता 650/200 पी. एस. आई. मय खनन उपकरणों तथा समस्त करो निरीक्षण चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कमीशनिंग ट्रायल एवं टेस्टिंग के साथ.	क्र. 47 दिनांक 10-01-2007	28-03-2007	मेसर्स के. एल. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (निर्माता)	1 नग	1,01,98,740=00
				कुल योग	**10 नग**	

परिशिष्ट ''बारह''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1339) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य (3)	लक्ष्य पूर्ति (कृ. ग. संख्या) (4)
1.	अम्बिकापुर	7577	4837
2.	लखनपुर	1335	1321
3.	उदयपुर	1010	451
4.	प्रेमनगर	435	-
5.	रामानुजनगर	2525	1604
6.	सूरजपुर	4820	5758
7.	भैयाथान	3256	1492
8.	ओड़गी	1133	205
9.	प्रतापपुर	4483	1347
10.	वाड्रफनगर	1143	125
11.	रामानुजगंज	1140	1251
12.	बलरामपुर	1415	630
13.	राजपुर	3960	1612
14.	कुसमी	1188	237
15.	शंकरगढ़	1190	388
16.	लुण्ड्रा	2210	1247
17.	बतौली	1370	867
18.	सीतापुर	1590	725
19.	मैनपाट	1120	416
	योग	**42900**	**24513**

परिशिष्ट ''तेरह''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1535) के भाग (क)) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ भवन अधिवास नियम-2004 की वरीयता सूची

परिशिष्ट ''एक''

(देखें नियम-4)

1. राज्यपाल

2. मुख्यमंत्री

3. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/उप मुख्यमंत्री
   विधान सभा अध्यक्ष

4. मंत्री
   छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता

5. राज्यमंत्री
   छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष

6. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
   प्रमुख लोकायुक्त

7. उपमंत्री
   महाधिवक्ता

8. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष
   (छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष)
   छत्तीसगढ़ माध्यस्थतम अभिकरण के अध्यक्ष
   राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
   उच्च न्यायालय के निबंधक

9. विधायक

10. मुख्य सचिव
    अपर मुख्य सचिव
    अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
    राज्य निर्वाचन आयुक्त
    मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी
    (छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अभिकरण के उपाध्यक्ष)
    लोकायुक्त

11. प्रमुख सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी
    उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पुलिस महानिदेशक तथा उनके
    समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी.

12. राज्य शासन के सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवा के सचिव या उच्च स्तर के समकक्ष अधिकारी
संभागीय आयुक्त
पुलिस महानिरीक्षक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य

13. छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव
राज्य शासन के अपर सचिव एवं अनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी
अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय
कलेक्टर
उप पुलिस महानिरीक्षक
राज्य शासन के उप सचिव (जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हो)

14. पुलिस अधीक्षक
छत्तीसगढ़ विधान सभा के अपर सचिव
राज्य शासन के उपसचिव (जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के न हो)

15. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक, मंडलों/
आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य

16. छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति
छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों के अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ के नगर निगमों के महापौर

17. राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपसचिव, कनिष्ठ न्यायिक सेवा के अधिकारी

18. राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी,
कनिष्ठ न्यायिक सेवा के अधिकारी

परिशिष्ट "चौदह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1677) के भाग (क) की जानकारी]

अहिवारा विधान सभा अन्तर्गत पत्थर/चूनापत्थर खनिज के लिए स्वीकृत खनि रियायतों की सूची

खनिपट्टा :- कुल -30 (खनिज-चूनापत्थर)

क्र.	पट्टेदारों का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मे. ए. सी. सी. जामुल	चूनापत्थर	जामुल/ढौर/कुरूद	दुर्ग	जामुल :- 1 से 16, 17/1, 17/2, 36, 18, 19/1, 35 19/2, 22, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 26,27, 28, 29/1, 2 30, 31,32, 34, 37 से 42, 43/1, 2, 3, 44, 45/1, 49/2, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/3, 125, 126, 127, 128 129 भाग, 130/1, 2, 131, 132/1, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136, 137, 138/1, 2, 3, 139/1, 2,377/1,140/1, 2 141, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 2, 3, 145 से 153, 154/1, 154/2, 155 से 158, 159/1, 2, 160 से 164, 174, 165 से 169 170/1, 2, 171 से 173, 175 से 180, 365 से 376, 377/4, 2, 3 499, 500 से 513 ढौर:- 1001/1, 1133 से 1137, 1138/1, 2, 1139/1 से 4, 1140/1, 2, 1141 से 1144, 1145/1, 2, 1146, 1147, 1148/1, 3, 1149 से 1154 1155/1 से 4, 1156 से 1158, 1159/1, 2, 1160, 1165 से 1169, 1170/1, 2, 1171, 1172, 1173/1, 2, 1174, 1175/1, 2, 1176/1, 2, 1177 से 1192, 1193/1 से 4, 1194, 1195, 1196/1, 2, 3, 1197 से 1226, 1127/1, 2, 1128, 1229/1 से 6, 1230/1, 2, 1231 से 1246, 1247/1, 2, 1231 से 1246, 1247/1, 2, 1248 से 1254, 1255/1 से 6, 1256 से 1267, 1268/1, 2, 1269 से 1274, 1275/1, 2, 1276 से 1280, 1281/1, 2 1282, 1288, 1289/1,2, 1290 से 1293, 1294/1, 2, 1295 से 1300, 1301/1, 2, 1302/1 से 4, 1303/1 से 4, 1304 से 1320, 1321/1 से 3, 1322, 1324/2, 1323, 1324/1, 1325 से 1338, 1339/1, 2, 1340 से 1342, 1343/1, 2, 1344, 1345, 1346/1, 2, 3, 1347 से 1353, 1354/8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 1355 भाग, 1356, 1404/14 भाग, 1404/15, 1404/16, 17, 18, 1414/1, 2, 1415/1, 2 1416 से 1418, 1421, 1422/1, 2, 1464 भाग	269.957 हे.	04-05-2000 से 03-05-2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई.	चूनापत्थर	देउरझाल अहिवारा पिटोरा.	धमधा	1,2 पी, 3 पी, 4, 5, 6, 7 8, 9 पी, 10 पी, 11 पी 14 पी, 12 पी, 13 पी, 15 पी, 16, 17, 18 पी, 19 पी, 20 पी,4 पी, 25 पी, 26 पी, 1410/1 पी, 388 पी, 395 पी, 396 पी, 397 पी, 398/1,400/1, 401/1, 402/1, 403 से 410, 414, 415, 416, 417 पी, 418 से 424, 425 पी, 385 पी, 390/1,396/1 पी	526.34 हे.	31-03-1997 से 30-03-2017.
3.	मे. ए. सी. सी. जामुल	चूनापत्थर	पथरिया	धमधा	308 से 314 तक 316,317	36.01 हे.	14-05-2001 से 13-05-2021.
4.	मे. ए. सी. सी. जामुल	चूनापत्थर	पथरिया	धमधा	1019, 1020, 1022, 1024, 1028, 1029, 1030 से 1045, 761 से 764 भाग, 904, 943, 945, 946 से 950, 951, 953, 984 से 993.	37.87 हे.	22-05-1993 से 21-05-2003.
5.	मे. ए. सी. सी. जामुल	चूनापत्थर	नंदनी खुंदनी	धमधा	1921/1, 1941, 1942, 1945, 1946, 1953	53.57 हे.	02-12-2008 से 01-12-2038
6.	श्री अशोक कुमार वर्मा नि. प्रकाश भवन, स्टेशन रोड, दुर्ग.	चूनापत्थर	पथरिया	धमधा	42/28, 751 पी, 752 पी	2.18 हे.	02-04-1994 से 01-04-2014.
7.	मे. मुकेश ढोडी, पार्टनर श्री मुकेश ढोडी, एवं श्रीमती सोनिया ढोडी 4-मालवीय नगर, दुर्ग.	चूनापत्थर	पथरिया	धमधा	320, 363 से 368	4.12 हे.	19-05-2003 से 18-05-2033.
8.	श्री ए. के. वर्मा, प्रकाश भवन, दुर्ग.	चूनापत्थर	पथरिया	धमधा	751, 752, 753, 754, 755, 756, 757	3.47 हे.	02-10-2003 से 01-10-2023.
9.	श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा नि. क्वा. नं. 48/ 5, नेहरूनगर, भिलाई.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1909 पी	1.94 हे.	07-07-1998 से 06-07-2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा नि. क्वा, नं. 48/5, नेहरूनगर, भिलाई.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/873 पी, 890/3 पी 894 पी	4.55 हे.	14-06-1993 से 13-06-2013.
11.	हेमन्त कुमार साहू नि. ग्रा. चिखली तह. व जिला दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	1900 पी से 1906पी 1998 पी	1.45 हे.	07-05-1999 से 06-05-2019.
12.	श्री विकास कुमार अग्रवाल, नि. क्वा नं. 39/4 नेहरू नगर, भिलाई.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1910, 1911	8.09 हे.	22-06-2002 से 21-06-2022.
13.	श्री संजय अग्रवाल नि. नेहरु नगर, भिलाई.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/469/1	1.00 हे.	18-07-1996 से 17-07-2016
14.	मे. संतोष मिनरल्स नि. गंजपारा, दुर्ग	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/443, 444, 446	3.11 हे.	11-10-1995 से 10-10-2015.
15.	वैभव मिनरल्स प्रो. राजेश ढोडी नि. मालवीय नगर, दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1886/1	4.96 हे.	07-12-1997 से 06-12-2017.
16.	श्री भक्तू रमानी नि. सिंधी कालोनी, दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/420, 421, 422, 438, 439, 440, 441, 459	3.52 हे.	27-06-1994 से 26-06-2014.
17.	श्री संजय अग्रवाल आ. श्री दयाशंकर अग्रवाल नि. 34/3 मोतीलाल नेहरू नगर ईस्ट भिलाई जिला दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/447, 452	2.03 हे.	05-01-1995 से 04-01-2015.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	मे. आनंद इंटरप्राईजेस प्रो. के. सी. बफना नि. पदनाभपुर, दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1819, 1906, 1907, 1908	1.51 हे.	25-06-1995 से 24-06-2015.
19.	श्री भगतराम साहू नि. नंदनीखुंदनी, तह. धमधा.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1892, 1893, 1894, 1895, 1896	1.09 हे.	30-01-1990 से 29-10-2018.
20.	श्रीमती सितारा देवी मोदी, नि. एस. एम. 5 पदनाभपुर.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1894 पी, 1908 पी	1.11 हे.	29-11-1992 से 28-11-2002.
21.	श्री हेमंत कुमार साहू नि. चिखली पो. जेवरा सिरसा.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	29/1911 पी, 1912 पी, 1913 पी	6.47 हे.	26-11-2000 से 25-11-2020
22.	श्री नंद कुमार कुम्भकार नि. ग्रा. पो. पिसेगांव जिला दुर्ग.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	416, 417, 418, 423, 436, 437	2.96 हे.	04-03-1998 से 03-03-2018
23.	अजय कुमार चंद्राकर नंदनी.	चूनापत्थर	नंदनीखुंदनी	धमधा	445 पी	1.74 हे.	05-01-1996 से 04-01-2016.
24.	श्रीमती सीमा सक्सेरिया नि. गंजपारा, दुर्ग.	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	28/1013, 1032	8.80 हे.	19-06-2001 से 18-06-2031.
25.	श्री ओम प्रकाश सिंघानिया	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	1200, 1203, 1204, 1212, 1214	17.90 हे.	19-06-2001 से 18-06-2031.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26.	श्री बिपिन सिंघानिया नि. गीता नगर, दुर्ग	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	28/1577, 1578, 1589, 1590, 1594	7.30 हे.	19-06-2001 से 18-06-2031
27.	श्री संजय अग्रवाल नि. नेहरू नगर, भिलाई	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	1015, 1016	3.97 हे.	24-07-2003 से 23-07-2033.
28.	श्री टिकेन्द्र चंद्राकर नि. कुकदा पो. उरला तह. पाटन	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	35/5, 6 पी	1.19 हे.	26-11-1995 से 25-11-2015.
29.	श्री अशोक कुमार बाफना, नि. अहिवारा तह. धमधा	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	35/5, 6 पी	3.096 हे.	18-09-1991 से 17-09-2001
30.	श्री दिलीप कुमार देशलहरा, नि. गंजपारा, दुर्ग	चूनापत्थर	मेडेसरा	धमधा	163, 223	3.80 हे.	05-10-2000 से 04-10-2020

परिशिष्ट ''पंद्रह''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1684) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र ''अ''

दिनांक 1-1-2009 से 31-1-2010 तक प्रदेश में खनिज उत्खनन में रायल्टी चोरी एवं अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	खनिजवार दर्ज अवैध उत्खनन प्रकरणों की संख्या											योग	निराकृत प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में लंबित प्रकरणों संख्या	वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि
		आयरन ओर	कोयला	मुरम	चूनापत्थर	फायरक्ले	सा. पत्थर	मिट्टी	फर्शीपत्थर	डोलोमाईट	रेत	क्वार्टज				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	रायपुर	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	1,98,000/-
2.	धमतरी	-	-	-	-	-	01	02	-	-	-	-	03	-	03	-
3.	महासमुन्द	-	-	04	-	-	09	01	07	-	-	-	21	19	02	8,50,120/-
4.	राजनांदगांव	-	-	04	-	-	11	06	-	-	-	-	21	01	20	5,63,250/-
5.	कबीरधाम	-	-	03	14	-	05	59	-	-	-	-	81	63	18	1,74,281/-
6.	दुर्ग	-	-	01	01	-	-	03	-	-	-	-	05	-	05	-
7.	बस्तर	-	-		07	-	09	-	-	-	-	-	16	10	06	34,700/-
8.	कांकेर	-	-	02	-	-	02	05	-	-	-	-	09	04	05	1,75,000/-
9.	दंतेवाड़ा	-	-	01	-	-	02	-	-	-	-	-	03	01	02	8,000/-
10.	बिलासपुर	-	-	01	03	-	01	22	-	-	-	-	27	03	24	15,500/-
11.	कोरबा	-	06	-	-	-	02	03	-	-	-	-	11	11	-	6,54,074/-
12.	जांजगीर-चांपा	-	-	05	06	-	02	13	-	01	-	-	27	19	08	2,09,904/-
13.	रायगढ़	01	06	03	16	01	24	21	-	19	-	06	97	51	46	56,97,785/-
14.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	सरगुजा	-	-	04	-	-	18	85	-	-	-	-	107	04	103	1,21,376/-
16.	कोरिया	-	24	08	-	-	44	106	-	-	23	-	205	130	75	9,57,676/-
17.	केन्द्रीय उड़नदस्ता	-	01	05	01	-	01	-	-	-	-	-	08	08	-	2,93,846/-
	योग :-	**01**	**37**	**42**	**48**	**01**	**131**	**326**	**07**	**20**	**23**	**06**	**642**	**325**	**317**	**99,53,512/-**

प्रपत्र ''ब''

दिनांक 1-1-2009 से 31-1-2010 तक प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिला	दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित	अर्थदण्ड जो वसूल किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	445	445	-	24,98,480/-
2.	धमतरी	75	75	-	2,09,000/-
3.	महासमुन्द	38	38	-	1,71,855/-
4.	राजनांदगांव	98	98	-	1,90,490/-
5.	कबीरधाम	233	233	-	9,17,008
6.	दुर्ग	308	308	-	19,30,680/-
7.	बस्तर	80	80	-	2,48,430/-
8.	कांकेर	191	191	-	7,25,358/-
9.	दंतेवाड़ा	68	64	04	1,25,430/-
10.	बिलासपुर	178	174	04	11,79,764/-
11.	कोरबा	65	65	-	37,68,241/-
12.	जांजगीर-चांपा	457	457	-	16,11,015/-
13.	रायगढ़	275	203	72	45,77,953/-
14.	जशपुर	19	15	04	41,950/-
15.	सरगुजा	113	113	-	5,07,464/-
16.	कोरिया	121	120	01	7,85,816/-
17.	केन्द्रीय उड़नदस्ता	104	104	-	13,08,440
	योग	**2868**	**2783**	**85**	**2,079,73,374/-**

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1789) के भाग (क) की जानकारी]

अटल ज्योति योजना के अन्तर्गत रायपुर जिले में पूर्ण किये गये लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	विद्युत वितरण लाईन (कि. मी. में)	स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सिमगा	68.9	43
2.	भाटापारा	76.36	29
3.	कसडोल	42.05	10
4.	बलौदाबाजार	102.02	33
5.	पलारी	23	6
6.	बिलाईगढ़	31.5	38
7.	मंदिर हसौद	11	0
8.	आरंग	0	0
9.	धरसींवा	237.78	90
10.	तिल्दा	94.5	17
11.	अभनपुर	64.48	22
12.	फिंगेश्वर	190.03	73
13.	छूरा	75.2	37
14.	गरियाबंद	22	6
15.	मैनपुर	0	0
16.	देवभोग	0	0
	योग	**1039**	**404**

परिशिष्ट ''सत्रह''

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1791) के भाग (क) की जानकारी]

एमओयू निष्पादित करने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची, जिनके द्वारा उद्योग स्थापनार्थ जांजगीर-चांपा जिले का चयन किया गया है

क्रमांक (1)	इकाई का नाम (2)	पंजीकृत कार्यालय का पता (3)
1.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	15 वॉ किलोमीटर स्टोन, देहली रोड, हिसार (हरियाणा)-125044.
2.	मे. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड	142, शहीद स्मारक काम्पलेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर
3.	मे. भूषण पावर एंड स्टील लिमि.	चौथा माला, टालस्टॉय हाउस, 15-17, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली.
4.	मे. लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड	बख्तावर चैम्बर, नरीमन पाइंट, मुम्बई
5.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	15 वॉ किलोमीटर स्टोन, देहली रोड, हिसार (हरियाणा)-125044.
6.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	15 वॉ किलोमीटर स्टोन, देहली रोड, हिसार (हरियाणा)-125044.
7.	मे. एस. के. एस. इस्पात एंड पावर लि.	501-बी, एलजेन्ट बिजनेट पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, जे. बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई-400059.
8.	मे. के. एनर्जी लिमिटेड	प्रथम तल, जैनब मेनशन, इंडियन कॉफी हाउस रोड, बांसटाल रायपुर.
9.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	15 वॉ किलोमीटर स्टोन, देहली रोड, हिसार (हरियाणा)-125044.
10.	हिन्द इनर्जी एंड कोल बेनीफिसियेशन (इंडिया) प्रा. लि.	देपू पारा, विद्या नगर, बिलासपुर-495001
11.	मे. मार्स पावर एंड स्टील लिमिटेड	शाप नं.-78 शहीद स्मारक काम्पलेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर-492001

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव —448—3/2010 —400.